



सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

27 जुलाई, 2021

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11:00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है। अब प्रश्नोत्तर काल होगा। अल्पसूचित प्रश्न लिये जाएंगे।

श्री रामप्रवेश राय जी। माननीय मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग।

प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न सं०- 1 (श्री रामप्रवेश राय, क्षेत्र संख्या-100, बरौली)

(लिखित उत्तर)

श्री जनक राम, मंत्री: 1. उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि 5 जिलों के बंदोबस्तधारियों द्वारा स्वेच्छा से 50 प्रतिशत राशि पर एकरारनामा किया गया था। शेष जिलों में आज भी उक्त दर पर बंदोबस्तधारी कार्यरत हैं।

2. उत्तर अस्वीकारात्मक है।

3. सरकार अवैध खनन पर प्रतिबंध लगाने हेतु पूर्णतः कटिबद्ध है। बिहार खनिज (समानुदान, अवैध, खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2021 अधिसूचित किया गया है, जिसमें अवैध खनन में लिप्त वाहनों को राज्यसात करने और चार लाख रुपये तक शमन की राशि के साथ खनिज स्वामित्व का 25 गुणा जुर्माना लेने का प्रावधान किया गया है।

अवैध खनन पर रोक लगाने हेतु लगातार छापेमारी, प्राथमिकी, गिरफ्तारी, जुर्माने की वसूली आदि की कार्रवाई की जा रही है। चालू वित्तीय वर्ष में राज्य में दिनांक- 30.06.2021 तक 4180 छापेमारी, 750 प्राथमिकी, 538 गिरफ्तारी एवं दंड के रूप में 2064.79 लाख रुपए की वसूली की गई है।

साथ ही अवैध खनन में संलिप्त लोगों को मदद पहुंचाने या उनसे साठ-गांठ रखने वाले विभिन्न विभाग के पदाधिकारियों पर भी आर्थिक अपराध इकाई द्वारा की गई जांच के आलोक में अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है।

श्री रामप्रवेश राय: अध्यक्ष महोदय, राज्य की जनता के हित में यह बालू की समस्या एक कोढ़ बन गई है। सरकार नीतियां बनाती हैं उन नीतियों पर सरकार को चलना भी चाहिए, हर तरह के प्रयास किये जाने के बावजूद...

अध्यक्ष: आप पूरक पूछिये।

श्री रामप्रवेश राय: मेरा पूरक है। मैं माननीय मंत्री जी से इतना जानना चाहता हूँ कि क्या एक बार राज्य सरकार ने एक अधिसूचना द्वारा मात्र 20 परसेंट दर बढ़ाने की बात की थी फिर भी 50 परसेंट दर बढ़ाने का औचित्य क्या था जब कि इसका प्रभाव आम जनता पर पड़ने वाला था।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग।

श्री जनक राम, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहते हैं कि दो कंपनी को छोड़कर के बिहार में जितने हमारे लेसी हैं, सेटली हैं, 50 प्रतिशत की दर से जो वृद्धि है उन्होंने मान्य किया है, स्वीकार्य किया है। बाकी बिहार में 2 ब्रॉडसन है, आदित्य है कंपनी ही इस तरह का आरोप लगाई कि बिहार के राजस्व को किसी तरह उन्होंने छिपाने का या गबन करने की उनकी मानसिकता रही है लेकिन बिहार की जितनी कंपनियां हैं बालू की, जो सेटली है वह इस पर कहीं इस तरह की कोई आपत्ति नहीं किया है तो राजस्व को ध्यान में रखते हुए इस तरह का कदम उठाया गया है 50 प्रतिशत की वृद्धि करके उनको दिया गया है खनन करने के लिए। इस तरह का बिहार में कोई विरोध नहीं किया, उन्होंने लिखित दिया है जिसकी वजह से ऐसा कदम उठाया गया है।

श्री रामप्रवेश राय: अध्यक्ष जी, मंत्री जी के इस तरह के जवाब के बाद मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह बात सही है कि बढ़े हुए 50 परसेंट दर के कारण गया, कैमूर, लखीसराय, जमुई इत्यादि जगहों पर बालू बंदोबस्तधारियों ने काम करना बंद कर दिया था।

श्री जनक राम, मंत्री: मुझे लगता है कि हमने जवाब दिया है कि बिहार की जितनी कंपनियां थीं जिसमें दो कंपनी राजस्व को चूना लगाने हेतु ऐसे उन्होंने कदम उठाया तो उनके कदम उठाने के बाद से सरकार ने इतनी तत्परता से कार्रवाई की है कि बाकी जगहों पर अवैध खनन न हो सके, लगातार टास्क फोर्स के माध्यम से छापेमारियां चल रही हैं पूर्व के भी रिकॉर्ड अगर जांच किया जाय तो इतनी बड़ी छापेमारी, इतनी बड़ी कार्रवाई यह अब तक की सरकार में ही संभव हुआ, पूर्व में कभी संभव नहीं हो सका था।

श्री रामप्रवेश राय: अध्यक्ष जी, मैं एक प्रश्न और पूछ सकता हूँ ?

अध्यक्ष: ठीक है।

श्री रामप्रवेश राय: अध्यक्ष महोदय, क्या जो पुनः 2021 में पटना, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास के बंदोबस्तधारियों ने 50 परसेंट बढ़े हुए दर पर काम करने के लिए राजी थे तब अवैध खनन करने वाले माफियाओं से उन्हें प्रशासनिक सुरक्षा प्रदान क्यों नहीं की गई ।

श्री जनक राम, मंत्री: महोदय, सुरक्षा प्रदान करने ही हेतु आपने देखा होगा यह पहली बार जिला के जिला कप्तान हों, अंचलाधिकारी हों, खनन के माइनिंग इंस्पेक्टर हों यह तमाम बढ़े-बढ़े अधिकारियों और इतना ही नहीं निगरानी विभाग इकाई द्वारा इसमें सघन जांच चल रही है जैस-जैसे जांच सामने आ रही है उनके ऊपर कार्रवाई बड़ी से बड़ी करने की सरकार माद्दा रखती है और कार्रवाई हो भी रही है ।

अध्यक्ष: मा0 सदस्य संजय सरावगी जी, आप बोलिये ।

श्री संजय सरावगी: अध्यक्ष महोदय, ठीक है यह प्रश्न है अवैध खनन का । सरकार जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी हो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, इसमें हमलोग का समर्थन है अवैध बालू माफिया को नेस्तनाबूद करना चाहिए लेकिन अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि बालू आम जनता से जुड़ा हुआ है तो मैं यह माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या बालू की जो समस्याएं हो रही हैं, हमलोगों ने अखबार में पढ़ा है कि 4500 कुछ रुपया में सरकार ने निर्णय किया है तो मेरा यह कहना है कि सरकार का जो निर्णय है 4500 कुछ रुपया बालू का, वह आमजन को उपलब्ध नहीं हो रहा है तो क्या इस पर माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं ?

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी ।

श्री जनक राम, मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय जी के माध्यम से हम सदन को अवगत कराना चाहते हैं कि जैसे माननीय सदस्य ने यह सवाल उठाया है कि 4000 या 4500 रुपये की दर से हम आम लोगों को बालू मुहैया कराना चाहते हैं, मेरी सरकार कटिबद्ध है न्याय के साथ सुशासन की सरकार मेरी चल रही है इस कड़ी में आपको बताना चाहते हैं कि जब चालान 3500 और तीन हजार और चार हजार के रेट से सेटली उठाते हैं और उसको मार्केट में ले जाकर के वह दस हजार और पंद्रह हजार का रेट बेचते हैं, इसके लिए भी सरकार ने टास्क फोर्स का गठन किया है । जहां बालू की मंडी लगती है अगर अवैध रूप से वह बालू को मार्केट में हाई रेट से बेचते हैं, उस पर वहां के अंचलाधिकारी, वहां के लोकल थाना प्रभारी, हमारे माइनिंग इंस्पेक्टर औचक निरीक्षण करें और सरकार ने बालू का रेट भी फिक्स कर दिया है । आज से एक सप्ताह पहले बालू का रेट फिक्स हो चुका है और उससे महंगे दर पर कोई बालू बेचता है तो औचक जांच करके उसके ऊपर

एफ0आई0आर0 करना और उस बालू को जब्त करके फिर जनता के बीच में सस्ती दर पर मुहैया कराना है, सरकार कटिबद्ध है ।

अध्यक्ष: मा0 सदस्य श्री जनक सिंह, अल्पसूचित प्रश्न संख्या-2 ।

श्री आलोक मेहता: अध्यक्ष महोदय, ...

अध्यक्ष: नहीं, अब आगे बढ़ चुके हैं, इसमें बहुत हो चुका है । माननीय सदस्यगण ।

श्री आलोक मेहता: अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, एक प्रश्न पूछना चाहते हैं ।

अध्यक्ष: आप तो अनुभवी हैं, बैठ जाइए । माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-2 (श्री जनक सिंह, क्षेत्र संख्या-116 तरैया)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: महोदय, प्रश्न कंडिका (1), (2), (3) और (4) के प्रसंग में कहना है कि राज्य सरकार समीक्षोपरान्त राज्य के विश्वविद्यालयों में कार्यरत महिला शिक्षकों को शिशु देखभाल अवकाश के संदर्भ में निर्णय लेगी ।

अध्यक्ष: ठीक है । मैं सरकार के सभी विभागों को धन्यवाद देता हूं आज के सूचीबद्ध सभी अल्पसूचित प्रश्न के ऑनलाइन उत्तर प्राप्त हो चुके हैं और तारांकित प्रश्नों में भी 93 परसेंट उत्तर ऑनलाइन आ चुका है इसलिए आप लोग पूरक प्रश्न करें ।

श्री जनक सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का संक्षिप्त विवरण यह है कि महिला, जो शिक्षकगण हैं उनको 730 दिनों का शिशु देखभाल के लिए हम समय की मांग किए हैं और इसमें सरकार का उत्तर आया है कि शिशु देखभाल अवकाश के संदर्भ में निर्णय ली है । मेरा पूरक प्रश्न यह है, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, कहना भी चाह रहा हूं कि राज्य सरकार के समीक्षोपरान्त राज्य के विश्वविद्यालयों में कार्यरत महिला शिक्षकों को शिशु देखभाल के संदर्भ में निर्णय लेगी । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि राज्य के विश्वविद्यालयों के लिए यू0जी0सी0 का गाइडलाइन बाध्यकारी है कि नहीं ?

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: महोदय, माननीय सदस्य को तो मैं पहले धन्यवाद देता हूं कि आपने एक सही चीज को सरकार के संज्ञान में लाया है और महोदय, आसन से लेकर पूरा सदन वाकिफ है कि महिलाओं के बारे में और महिला कर्मचारियों के बारे में हमलोगों की सरकार विशेष रूप से संवेदनशील रही है इसीलिए 2015 में ही सरकार में यानी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यह निर्णय हुआ कि जितनी भी महिला कर्मचारी हैं सरकार के

उनको पूरे सेवाकाल में 2 बच्चों तक जो 730 दिनों का अवकाश शिशु देखभाल अवकाश उनको दिया जाएगा और यह लागू है ।

...क्रमशः...

टर्न-2/सत्येन्द्र/27-07-2021

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री:(क्रमशः) बिहार सरकार के कर्मचारियों पर और जैसा कि माननीय सदस्य ने जानना चाहा है या उनकी इच्छा है कि इस चीज को यूनिवर्सिटीज में यानी विश्वविद्यालयों में भी लागू किया जाय तो सरकार, चूंकि आप जानते हैं कि यू0जी0सी0 स्वायत्त संस्थाएं होती हैं महामहिम के अन्दर, तो हमलोग सरकार के स्तर पर इसीलिए महोदय हमने कहा है कि सरकार के स्तर पर इसकी समीक्षा कर के इसको हमलोग लागू करने का निर्देश देंगे । हम तो सकारात्मक कह रहे हैं, दूसरी बात यू0जी0सी0 के प्रावधान लागू होने, नहीं होने से इस बात का मतलब इसलिए नहीं है कि ये बिहार सरकार का फैसला है और इसके तहत 730 दिन हमलोग अपने महिला कर्मचारियों को शिशु देखभाल अवकाश देते हैं और यूनिवर्सिटीज में भी यह लागू हो यह सरकार की इच्छा है। तत्संबंधी निदेश सरकार की तरफ से विश्वविद्यालयों को दिया जायेगा।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-3 (श्री अली अशरफ सिद्दिकी, क्षेत्र सं0 -158 नाथनगर)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री: 1-उत्तर स्वीकारात्मक हैं

2- उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प संख्या 367 दिनांक 13-02-21 द्वारा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अन्तर्गत स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं की प्रोत्साहन राशि वित्तीय वर्ष 2021-22 से 50,000/- रू0 कर दिया गया है।

3-उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को प्रोत्साहन राशि का भुगतान उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से ऑनलाईन किया जाता है।

राज्य के सभी विश्वविद्यालयों द्वारा अबतक 237890 (दो लाख सैंतीस हजार आठ सौ नब्बे)आवेदन भुगतान हेतु प्राप्त हुआ है जिसमें से विश्वविद्यालय द्वारा जांचोपरांत 27466

छात्राओं की सूची भुगतान हेतु निदेशालय को प्रेषित की गयी है जिसमें से 12 हजार छात्राओं की भुगतान हेतु राशि प्रकियाधीन है।

4- उत्तर खंड-3 में सन्निहित है।

श्री अली अशरफ सिद्दिकी: जवाब भी आया है..

अध्यक्ष: तो पूरक पूछ लीजिये।

श्री अली अशरफ सिद्दिकी: जवाब आया है लेकिन वह इंकम्पलीट है और उत्तर में क्या कहते हैं माननीय मंत्री जी, महोदय, सरकार से मैं जानना चाहता हूँ कि राज्य के विश्वविद्यालय द्वारा जो कहा गया है कि 2 लाख 37 हजार 890 आवेदन भुगतान हेतु प्राप्त हुए हैं तो क्या हुआ इसका ?

अध्यक्ष: माननीय मंत्री।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: माननीय सदस्य का पूरक हम समझ नहीं पाये ।

श्री अली अशरफ सिद्दिकी: राज्य के विश्वविद्यालयों द्वारा जो कहा गया है कि 2 लाख 37 हजार 890 आवेदन भुगतान हेतु प्राप्त हुए हैं तो क्या हुआ ?

अध्यक्ष: आवेदन का क्या हुआ ?

श्री अली अशरफ सिद्दिकी: जी, भुगतान का क्या हुआ ?

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत सही प्रश्न किया है और खूब स्थिर से वे पूरक पूछते लेकिन वे तो सिर्फ हमने जो जानकारी दी है उसी के बारे में कह रहे हैं । हमने तो कहा है कि लगभग 2 लाख अभी यहां पर पेंडिंग है लेकिन पेंडिंग होने के अलग अलग कारण है, क्योंकि छात्र स्वयं इसमें अपलोड करते हैं, यूनिवर्सिटीज के माध्यम से सरकार तक आता है और महोदय हमलोग 2018-19, 2019-20 में तो काफी किया है लगभग समझिये कि 12 हजार 79 लोगों को हमने दिया है और लाभुक जिनका भुगतान हुआ है महोदय, 2018-19 में 16802 लोगों को हमलोगों ने भुगतान किया है । इसी तरीके से 2019-20 में महोदय हमलोगों ने 51 हजार 900 छात्रों को जो बालिका प्रोत्साहन योजना है उसके तहत लाभ प्रदान किया है । यह बात सही है कि पिछले डेढ़ दो साल से कोरोना के कारण जो हमारे शिक्षण संस्थान बंद रहे हैं, परीक्षाएं भी स्थगित हुई है उस कारण से ये थोड़ा बिलम्ब चल रहा है लेकिन माननीय सदस्य और पूरे सदन को हम आश्चस्त करना चाहते हैं कि ये सरकार की प्राथमिकता वाली योजना है और इसके तहत जो मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना है, इसके तहत जो भी छात्राएं अच्छादित होंगी सरकार उनको भुगतान करेंगी।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, लगभग जो सवाल में पूछा गया है कि 2 लाख 20 हजार छात्र जो हैं वे पास किये हैं तो आवेदन भी लगभग उतना ही पहुंचा होगा लाखों में, मंत्री जी ने भी कहा कि ये जो है प्रायोरिटी वाईज स्कीम चल रहा है सरकार का और प्रायोरिटी वाईज हमलोग इसमें भुगतान कर रहे हैं और कुछ भुगतान नहीं हुआ है, बाकी किन किन कारणों से नहीं हुआ है हम ये जानना चाहते हैं और लगभग 2 लाख 20 हजार छात्रों में से कितने को भुगतान हुआ है और महोदय 2018 से आज 2021 हो गया महोदय, अबतक 2018 वालों को भुगतान नहीं मिला तो किस बात की प्रायोरिटी है महोदय, ये कैसी योजना चल रही है जहां प्रोत्साहन राशि जो है, सरकार जो स्कीम चलाती है और उसका लाभ लोगों को नहीं मिलता है।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: महोदय लगता है नेता प्रतिपक्ष ने पूरी बात मेरी सुनी नहीं। हमने तो ईयर वाईज वित्तीय वर्षवार आंकड़ें बताये हैं। हमने कहा है कि वर्ष 2018-19 में 17 हजार 311 आवेदन इस योजना के तहत प्राप्त हुए जिसमें से 16 हजार 802 छात्रों का भुगतान कर दिया गया है। महोदय, हमने इसी तरीके से बताया गया कि वर्ष 2019-20 में 3 लाख 28 हजार 431 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से हमलोगों ने लगभग 51 हजार 900 का भुगतान कर दिया है और इस प्रकार अभी तक लगभग 1 लाख 5 हजार 766 छात्रों की सूची बनाकर उनका भुगतान किया जा चुका है और हमने सिर्फ ये कहा कि आपका कहना ठीक है, इसे हम खुद स्वीकार कर रहे हैं कि लंबित हैं मामले लेकिन जो पिछले डेढ़ साल से ये कोरोना का काल चल रहा है उसमें सारे काम स्थगित से हो गये हैं, शिक्षण संस्थाएं बंद है, उसके कारण लंबित है लेकिन हमलोग छात्रों को जरूर इस योजना का लाभ पूर्ण रूप से पहुंचायेगे।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, 2018-19 में तो कोरोना नहीं था।

अध्यक्ष: आंकड़ा तो उसका दे ही दिये हैं।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या- 4(श्री भाई वीरेन्द्र, क्षेत्र सं0-187, मनेर)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि बच्चों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 एवं तदालोक में अधिसूचित बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक(नियोजन एवं सेवा शर्त)नियमावली, 2012 एवं बिहार नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षक(नियोजन एवं सेवाशर्त)नियमावली, 2012 के तहत मध्य विद्यालयों में जहां 100 से अधिक छात्र नामांकित हैं, में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर

नियोजन की कार्रवाई की जानी है। उक्त पद पर नियुक्ति हेतु योग्यता परीक्षा का आयोजन किया जा चुका है। परन्तु पद सृजन नहीं हुआ है।

राज्य के 8386 राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालयों में एक-एक शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक का पद अर्थात् कुल 8386 पद सृजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। पद सृजन के उपरांत योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण एवं निर्धारित अहर्ता धारित अभ्यर्थियों के नियोजन की कार्रवाई पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अन्तर्गत गठित नियोजन समिति के द्वारा किया जायेगा।

अध्यक्ष: उत्तर आया हुआ है पूरक पूछिये।

श्री भाई वीरेन्द्र: अध्यक्ष महोदय, बिहार शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक की नियुक्ति हेतु पदों के सृजन प्रशासी पदवर्ग समिति की स्वीकृति के उपरांत किस स्तर पर प्रक्रियाधीन है?

अध्यक्ष: माननीय मंत्री।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: क्या पूछे ?

श्री भाई वीरेन्द्र: अध्यक्ष महोदय, बिहार शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक की नियुक्ति हेतु पदों के सृजन प्रशासी पदवर्ग समिति की स्वीकृति के उपरांत किस स्तर पर प्रक्रियाधीन है ?

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: महोदय प्रशासी पदवर्ग की स्वीकृति मिल चुकी है और इस संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाना है। आप जानते हैं, माननीय सदस्य और पूरा सदन अवगत है कि सबसे बड़ा निर्णय प्रशासी पदवर्ग समिति में लिया जाता है, जिसके तहत निर्णय लिया जा चुका है और अब इसमें सिर्फ शीघ्र स्वीकृति की कार्रवाई करके हम नियोजन प्रक्रिया को आगे बढ़ायेंगे ।

श्री भाई वीरेन्द्र: नियोजन कब शुरूआत होगी ?

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: जैसे ही इसकी अंतिम स्वीकृति दे दी जायेगी, नियोजन प्रक्रिया प्रारम्भ हो जायेगी।

श्री भाई वीरेन्द्र: एक और है।

अध्यक्ष: बगल वाले का समय हो रहा है ।

श्री भाई वीरेन्द्र: एक और है। एस0टी0ई0टी0 बी0एड0 की परीक्षा के तर्ज पर ही बी0पी0एड0 पुरूष परीक्षार्थियों को भी आरक्षण देने का क्या निर्णय है?

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: महोदय, सरकार की आरक्षण नीतियां जो होती है वह सभी जगह समान रूप से लागू होती है इसलिए इस सेवा या इस सम्वर्ग के साथ कोई विशेष व्यवस्था तो की नहीं जायेगी, जो सरकार के नियम आरक्षण संबधी है, वह इस पर भी लागू होगा।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या- 5(श्री ललित कुमार यादव,क्षेत्र सं0-82,दरभंगा ग्रामीण)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री: वस्तुस्थिति यह है कि नीति आयोग, भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में जारी रिपोर्ट SDG India Index - Goal 4 में राज्य/ केन्द्रशासित प्रदेशों के रैंकिंग की स्थिति के अनुसार बिहार का स्थान क्रमांक 29, 28 एवं 28 वॉ पायदान पर है।

शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए निम्नांकित कार्रवाई की गयी है/जा रही है:-

1- कोविड संक्रमण एवं विद्यालयों के संचालन बंद रहने के बावजूद कक्षा 1 से 12 तक विद्यार्थियों के डिजिटल शिक्षण के लिए e-LOTS (E-Library of Teachers & Students)पोर्टल एवं एप्प विकसित किया गया। इस पोर्टल एवं एप्प पर कक्षा 1 से 12 तक की सभी पाठ्यपुस्तकें कक्षावार, विषयवार एवं पाठवार डिजिटल रूप में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त पाठ्यपुस्तक से संबंधी विडियो एवं स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्नोत्तरी के साथ साथ बच्चों के संशय के समाधान के लिए विमर्श मंच भी उपलब्ध हैं । शिक्षकों के उपयोग के लिए भी शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध है।

2- कोविड संक्रमण एवं विद्यालयों के संचालन बंद रहने के कारण कक्षा 1 से 12 के विद्यार्थियों के डिजिटल शिक्षण के लिए डी0डी0 बिहार के सहयोग से 'मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय' कार्यक्रम अन्तर्गत कुल 05 घंटे (कक्षा 1-2, कक्षा 3-5, कक्षा 6-8, कक्षा 9-10 एवं कक्षा 11-12 के लिए 01-01 घंटा)का शैक्षणिक प्रसारण किया जा रहा है।

3- वर्ष 2019-20 में राज्य के 5646 माध्यमिक /उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उन्नयन बिहार योजना प्रारंभ की गयी है।

4- राज्य के शेष सभी 3714 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय(2948 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में वर्ग 9 के पठन-पाठन की व्यवस्था हेतु चयनित विद्यालय सहित) में उन्नयन बिहार योजना प्रारंभ करने हेतु सभी आवश्यक तैयारी पूरी कर ली गयी है। उक्त विद्यालयों में इस सत्र से वर्ग 10 की पढ़ाई आरंभ की जा रही है।

5- राज्य के सभी 2948 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में वर्क 9 के पठन-पाठन की व्यवस्था हेतु चयनित विद्यालय में वर्ग 9 के पठन पाठन की व्यवस्था हेतु चयनित विद्यालय में वर्ग कक्ष का निर्माण, अन्य आवश्यक उपकरण हार्डवेयर आदि का अधिष्ठापन कार्य किया गया है।

6-कोविड संक्रमण एवं विद्यालयों के संचालन बंद रहने के कारण 2 से 10 तक के बच्चों के लर्निंग लौस को पाटने के लिए अकादमिक वर्ष 2021-22 में 3 महीने का विशेष कैच-अप कोर्स चलाने की तैयारी की गयी है।

राज्य के शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के द्वारा पांच कमिटियों का गठन किया गया है। उक्त कमिटी की बैठक दिनांक 15-07-2021 को आहूत की गयी एवं गुणात्मक सुधार हेतु सुझाव आमंत्रित किया गया है।

राज्य सरकार राज्य के शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए कृत संकल्पित है। राज्य सरकार के प्रयास से सभी स्तर के पढ़ाई में सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि हुई है।

अध्यक्ष: पूरक पूछिये?

श्री ललित कुमार यादव: महोदय, माननीय मंत्री जी का जो जवाब है महोदय, हमने तो 2017-18 2019-20 और 2020-21 में जो नीति आयोग का रिपोर्ट है उसके अनुसार हमलोगों ने कहा है कि 17-18 वाँ स्थान है लेकिन माननीय मंत्री जी ने बढ़ चढ़कर के 29 वाँ 28 वाँ बतलायें हैं वर्ष 2018-19 2019-20 में तो महोदय माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था है चौपट है, ये अपने जवाब में बोले हैं, हम तो 17-18 वाँ पोजिशन बतायें है जो नीति आयोग का रिपोर्ट है, उसमें मंत्री ने सही कहा है।

टर्न-3/मधुप/27.07.2021

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये । अगले की भी चिन्ता करिये । सत्यदेव जी देख रहे हैं कि मेरा प्रश्न छूट नहीं जाय इसके कारण ।

श्री ललित कुमार यादव : मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि केवल हमने गुणात्मक सुधार के संबंध में प्रश्न किया है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का, लेकिन माननीय मंत्री जी ने कोविड काल का बखान जवाब में किया है ।

अध्यक्ष : आपका पूरक क्या है ?

श्री ललित कुमार यादव : हम यह कह रहे हैं कि बिहार में शिक्षा में सुधारात्मक कार्रवाई कबतक करना चाहते हैं ?

अध्यक्ष : कबतक ?

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, यह तो पूरे लक्ष्य प्राप्ति की बात है और हमलोग तो चाहते हैं कि शीघ्रातिशीघ्र हो जाय ।

अध्यक्ष : कोरोना-काल खत्म होने के बाद ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, लेकिन एक चीज और हम माननीय ललित जी के प्रश्न के सन्दर्भ में बताना चाहते हैं कि आपने प्रश्न में पूछा है 17वाँ, 19वाँ और हमने बताया आपको उससे भी आगे 28वाँ, 29वाँ ।

श्री ललित कुमार यादव : हमने तो कहा कि आपने स्वीकार किया है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : यह कोई बढ़-चढ़कर हमारी उपलब्धि नहीं है जो बढ़-चढ़कर हम बता रहे हैं । हम सिर्फ सदन को यह कहना चाहते हैं कि इससे समझना चाहिए कि सरकार किसी भी सच्चाई और हकीकत को छिपाना नहीं चाहती है भले आपको मालूम हो या नहीं हो लेकिन जो सच्चाई है, हम अगर उससे भी अधिक हैं तो वह आपको बता रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय, एक चीज और इस सन्दर्भ में हम सरकार की जो सोच है, उससे सदन को अवगत कराना चाहते हैं कि नीति आयोग के इसके लिए जो डाटा कलेक्शन का तरीका या पैरामीटर्स उसके जो हैं, मापदंड या मानदंड जो हैं, हमलोग उसमें भी संशोधन का दे रहे हैं क्योंकि जो विकसित प्रदेश हैं और जो विकासशील या गरीब प्रदेश हैं, उनकी तुलना एक ही मानक पर नहीं की जा सकती है । हम कहाँ खड़े हैं इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम जा किधर रहे हैं । महोदय, हम कहाँ खड़े हैं यह अलग बात है लेकिन हम उपर की ओर बढ़ रहे हैं ।

अध्यक्ष : अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

अब समय हो गया है ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, मंत्री जी कबतक यह गीत गाते रहेंगे ?

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, मेरा इसमें पूरक है । (व्यवधान) एक मिनट सत्यदेव जी । इससे रिलेटेड पूरक है, महोदय । यदि सरकार कह रही है कि हम सबसे नीचे....

अध्यक्ष : अब आगे बढ़ चुके हैं ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : पूरक तो पूछने दिया जाय ।

अध्यक्ष : अब आगे बढ़ गये हैं । तारांकित होगा ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : नहीं महोदय, पूरक पूछ रहे हैं ।

अध्यक्ष : समय पूरा हो गया, उनका प्रश्न भी नहीं हो पाया ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, प्रश्न अभी खतम नहीं हुआ है । पूरक पूछना है, महोदय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्रह्लाद जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष उठते हैं, आप मत उठिये । बैठिये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, यह शिक्षा से रिलेटेड सवाल है, बड़ा ही गम्भीर मसला है, मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि सबसे निचले पायदान पर हैं लेकिन मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि लगातार हर साल बिहार पिछड़ते क्यों जा रहा है? आखिर उसका कारण क्या है ?

अध्यक्ष : अलग से प्रश्न ले आइयेगा ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, अगर पिछड़ता जा रहा है, 28वें, 29वें नम्बर पर है तो क्या कदम उठाया है मंत्री जी ने गुणवत्ता को बढ़ाने का ? मात्र कोरोना का रोग रोग से बिहार का भविष्य सुधरने वाला नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आपसे अपेक्षाएँ लोगों को बहुत बढ़ी है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : वह तो..... (व्यवधान)

अध्यक्ष : फिर आप उठ गये ? बैठिये न । आप नहीं चाहते हैं कि इनका जवाब आवे ?

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने जो कहा, वह तो जिसका उत्तर हम दे चुके उसी का प्रश्न आपने किया । हमने तो कहा कि हम कहीं खड़े हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम जा किधर रहे हैं । हम नीचे भले हैं लेकिन पहले से बहुत आगे बढ़े हैं । यही तो हम कहना चाह रहे हैं ।

अध्यक्ष : श्रीमती मंजु अग्रवाल ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, मेरे प्रश्न का क्या हुआ ?

अध्यक्ष : अब समय समाप्त हो गया । बैठ जाइये, सत्यदेव जी । श्रीमती मंजु अग्रवाल, पूछिये ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, महिलाओं से जुड़ा हुआ सवाल है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अपने अगल-बगल के माननीय सदस्य एक-दूसरे की चिन्ता करेंगे तो सभी प्रश्न आ जायेंगे । माननीय मंत्री शिक्षा विभाग ।

श्री सत्यदेव राम : कल के लिए रख दिया जाय, महोदय ।

अध्यक्ष : आप पुराने सदस्य हैं, आप समझ रहे हैं कि समय समाप्त हो गया । हमने तो ज्यादा समय दे दिया नेता प्रतिपक्ष को । आप बैठ जाइये ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, महिलाओं से जुड़ा हुआ सवाल है ।

अध्यक्ष : हम जानते हैं कि आप महिलाओं की बहुत चिन्ता करते हैं। बैठ जाइये।

श्री सत्यदेव राम : बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, महोदय। कल के लिए इसको रख दिया जाय। मेरा निवेदन है, आग्रह है।

अध्यक्ष : उत्तर आ चुका है। अलग से माननीय मंत्री जी से मिल लीजियेगा। उत्तर आया हुआ है। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग।

श्री सत्यदेव राम : कल के लिए रख दिया जाय, महोदय।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। मंजु अग्रवाल जी का प्रश्न है।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : सत्यदेव बाबू, आप तो अलग से मिलते ही रहते हैं, यह तो अलग में कभी पूछे नहीं। अलग में पूछ लिये होते, हम आपको बता देते।

श्री सत्यदेव राम : मैं चाहता हूँ कि सदन में इस प्रश्न का निपटारा हो। कल के लिए इस प्रश्न को रख दिया जाय, महोदय। यह महिलाओं का सवाल है।

तारांकित प्रश्न संख्या-1 (श्रीमती मंजु अग्रवाल)(क्षेत्र सं0-226 शेरघाटी)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अब श्रीमती मंजु अग्रवाल का जवाब देते हैं ?

अध्यक्ष : हाँ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि गया जिलान्तर्गत शेरघाटी प्रखंड के गोपालपुर पंचायत के पथलकट्टी ग्राम से उत्तर एवं दक्षिण दिशा में लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर क्रमशः मध्य विद्यालय चिल्लिम एवं मध्य विद्यालय अच्छवाँ तथा पश्चिम दिशा में लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर मध्य विद्यालय गोपालपुर है।

समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पथलकट्टी ग्राम में भी प्राथमिक विद्यालय खोलने के संबंध में सरकार कार्रवाई करेगी। केवल महोदय, मैं आज ही माननीय सदस्या से भी निवेदन कर देना चाहता हूँ कि आपका क्षेत्र है, वहाँ पर उस गाँव में विद्यालय के लिए भूमि चिन्हित करने में आप मदद करिएगा।

तारांकित प्रश्न संख्या-2 (श्री छोटे लाल राय)(क्षेत्र सं0-121 परसा)

अध्यक्ष : पूरक पूछिये।

माननीय सदस्यगण, सभी प्रश्नों का ऑनलाईन उत्तर आया हुआ है। “पूछता हूँ” की जगह अब पूरक प्रश्न सीधे डायरेक्ट करिये।

श्री छोटे लाल राय : अध्यक्ष महोदय, हम नहीं देख पाये हैं। इसलिए मंत्री महोदय से आग्रह है कि उत्तर पढ़ दिया जाय।

अध्यक्ष : पी0ए0 से कहिये, देखवाएँ आपलोगों को ।
माननीय मंत्री जी ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत विद्यालय में वर्ष 2018 में असामाजिक तत्वों द्वारा खपरैलयुक्त विद्यालय भवन में आग लगा दी गई थी, इसके संबंध में प्राथमिकी भी दर्ज करायी गई थी । आग लगने से विद्यालय का खपरैल छप्पर, दरवाजा, खिड़की, बेंच, डेस्क, कुर्सी इत्यादि नष्ट हो गये थे । उक्त अग्निकांड से विद्यालय के 7 वर्गकक्ष भी नष्ट हो गये थे । वर्तमान में इसके अलावा 7 वर्गकक्ष उपलब्ध हैं जिसमें छात्र-छात्राओं का पठन-पाठन कराया जा रहा है ।

लेकिन माननीय सदस्य का कहना सही है कि आग लगने से विद्यालय और विद्यालय के उपस्कर नष्ट हुये थे, उसके बारे में प्राक्कलन तैयार कराकर उसकी मरम्मत और आगे की कार्रवाई की जाएगी ।

श्री छोटे लाल राय : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से आग्रह होगा मेरा कि वह रिपेयरिंग करने लायक नहीं है । असामाजिक तत्व नहीं बल्कि एक दिमाग जिसका गड़बड़ था उन्होंने आग लगा दिया था । आग लग गई, पूरा विद्यालय नष्ट हो गया ।

मेरा आग्रह होगा कि उसमें भवन की आवश्यकता है, स्कूल बहुत पुराना है । इसलिए आग्रह होगा कि उसमें भवन निर्माण कराने की व्यवस्था की जाय ।

अध्यक्ष : ठीक । श्री कुमार सर्वजीत ।

श्री छोटे लाल राय : महोदय, माननीय मंत्री जी इसपर कुछ कहें ।

अध्यक्ष : आप तो आग्रह किये, आग्रह उन्होंने सुना ।

तारांकित प्रश्न संख्या-3 (श्री कुमार सर्वजीत)(क्षेत्र सं0-229 बोधगया(अ0जा0)

(लिखित उत्तर)

श्री आलोक रंजन, मंत्री : उत्तर स्वीकारात्मक है ।

मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत प्रत्येक प्रखण्ड में एक आउटडोर स्टेडियम निर्माण का लक्ष्य है ।

गया जिलान्तर्गत फतेहपुर प्रखण्ड के राम सहाय उ0 वि0 फतेहपुर में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-450, दिनांक-11.03.2010 द्वारा दी जा चुकी है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि 2010 में स्वीकृत हुआ है । हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि 2010 में स्वीकृत हो गया, 2025 तक बन जायेगा क्या ?

श्री आलोक रंजन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, स्टेडियम बनकर पूर्ण हो चुका है । 2010 में इसकी स्वीकृति हुई है और अब इसका कार्य पूर्ण हो चुका है ।

श्री कुमार सर्वजीत : अध्यक्ष महोदय....

श्री आलोक रंजन, मंत्री : हमको लगता है कि माननीय सदस्य देखे नहीं हैं इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। स्थल पर जाकर देखें ।

टर्न-4/आजाद/27.07.2021

श्री कुमार सर्वजीत : अध्यक्ष महोदय, मैं लगातार वहां से तीसरी बार एम0एल0ए0 हूँ, अभी इसकी नींव भी नहीं रखी गयी है और ये कह रहे हैं कि बनकर तैयार हो गया है।

अध्यक्ष : सदन की गंभीरता को आपलोग इस तरह से हल्का क्यों करते हैं, ये प्रश्न कर रहे हैं और वे जवाब दे रहे हैं और इसकी सच्चाई को जाना जायेगा । आपलोग, शांति बनाये रखिए । बोलिए ।

श्री कुमार सर्वजीत : अध्यक्ष महोदय, जब मैं स्वयं माननीय मंत्री जी से मिलकर के पत्र दिया, इनके विभाग के द्वारा मुझे पत्र प्राप्त हुआ कि आप जमीन का वहां पर व्यवस्था करा दीजिए और मैंने सी0ओ0 से वहां के जमीन का व्यवस्था हमने कलक्टर को कराया ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य जिस गंभीरता के साथ बात कह रहे हैं, आप इसको एक बार पुनः देखवा लीजिए ।

श्री आलोक रंजन, मंत्री : जी, पुनः एक बार वहां के जिलाधिकारी से रिपोर्ट मंगवा लेते हैं ।

अध्यक्ष : और अगर जवाब गलत है तो उस अधिकारी पर कार्रवाई होगी ।

तारांकित प्रश्न सं0-04 (श्री हरीभूषण ठाकुर “बचोल”, क्षेत्र सं0-35 बिस्फी)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत विद्यालयों में चहारदिवारी नहीं है । उक्त विद्यालयों में छात्र/छात्राओं का पठन-पाठन सुचारू रूप से संचालित है ।

मनरेगा योजनान्तर्गत उक्त विद्यालयों में चहारदिवारी निर्माण हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी के द्वारा उप विकास आयुक्त, मधुबनी को सूचित किया गया है ।

श्री हरीभूषण ठाकुर “बचोल” : अध्यक्ष महोदय, चहारदिवारी का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

अध्यक्ष : देखिए, इस तरह से समय बचाने का सीखिए ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, इसमें हमने बताया है, इसमें हमने निर्देश दिया है कि चहारदिवारी निर्माण के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाय । इसके अलावा भी विकल्प है, जो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि इन विद्यालयों के पास अपने कोष में भी राशि उपलब्ध है, जो मोरलियाचक, बिस्फी का है, उसके पास 9 लाख 13 हजार रू0 हैं, इसी तरीके से सिंघासो वाला जो स्कूल है, उसके कोष में 2 लाख 45 हजार रू0 है तो तत्काल अगर तुरंत आवश्यक है और हमने बताया है कि इधर से होने में थोड़ा वक्त लगेगा । अगर माननीय सदस्य चाहें तो इस कमिटी के माध्यम से यह काम होता है और वही इसके अध्यक्ष होते हैं । वहां से करा ले सकते हैं और नहीं तो निधि है मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना की, उससे भी आप करा सकते हैं ।

अध्यक्ष : आप बैठ जाइए, अभी प्रश्न कर रहे हैं उधर ।

श्री हरीभूषण ठाकुर “बचोल” : ठीक है सर ।

तारांकित प्रश्न सं0-05 (श्री विद्या सागर केशरी, क्षेत्र सं0-48 फारबिसगंज)

(लिखित उत्तर)

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री : 1. अस्वीकारात्मक है ।

2. वस्तुस्थिति यह है कि पूर्णियां प्रमंडल के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए निम्नांकित आवासीय उच्च विद्यालय संचालित है:-

1. कटिहार- अनुसूचित जनजाति बालक आवासीय उच्च विद्यालय नीमा, कटिहार ।

2. पूर्णियां - अनुसूचित जनजाति बालक आवासीय उच्च विद्यालय वनमनखी, पूर्णियां एवं

3. पूर्णियां - अनुसूचित जनजाति बालक आवासीय उच्च विद्यालय मुगलिया, पुरनदाहा ।

उपरोक्त आवासीय विद्यालयों में अररिया जिला के अनुसूचित जनजाति के छात्र नामांकन कराते रहे हैं ।

इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति के लिए राजकीय अम्बेदकर आवासीय उच्च विद्यालय, ग्राम-फारबिसगंज, प्रखंड-फारबिसगंज संचालित है ।

वर्तमान में प्रखंड फारबिसगंज में अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

उपरोक्त कंडिकाओं में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछिए ।

श्री विद्या सागर केशरी : अध्यक्ष महादेय, मैं यह जानना चाहूँगा कि जिला कल्याण पदाधिकारी, अररिया के माध्यम से 2019-20 में एक प्रस्ताव विभाग को भेजा गया था, जिसमें अनुसूचित जनजाति वर्ग के हजारों छात्र-छात्राओं के लिए एक आवासीय विद्यालय निर्माण कराने की बात रखी गयी थी । अब तक उसपर क्या विभाग ने कार्रवाई किया, यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ ?

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 2019-20 में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है फिर भी मैं माननीय सदस्य के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि पूर्णिया प्रमंडल में तीन आवासीय विद्यालय अनुसूचित जनजाति के संचालित है और एक विद्यालय अनुसूचित जाति के संचालित हैं फारबिसगंज में और अनुसूचित जनजाति के लिए सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । चार विद्यालय पूर्णिया प्रमंडल में चल रहा है, हम समझते हैं कि सारे छात्र आवासित होकर के वहां पर शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं ।

श्री विद्या सागर केशरी : माननीय मंत्री जी, हमलोग वहां 6 एकड़ जमीन आवासीय विद्यालय के लिए जिला कल्याण पदाधिकारी को दिखाये थे और उनको 6 एकड़ जमीन हमलोग उनको मुहैया करवाये थे 2019-20 में । इसके बावजूद उस इलाके में अररिया जिला में एक भी आवासीय विद्यालय जनजातियों के लिए नहीं है और वहां के गरीब बच्चे बाहर जाकर पढ़ने के लिए किसी भी स्थिति में नहीं हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से से जानना चाहता हूँ कि पुनः एक बार फिर इसपर विचार करते हुए आगे वित्तीय वर्ष में या इसी वित्तीय वर्ष में इस तरह का विद्यालय का निर्माण कराने का विचार रखते हैं ?

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो इच्छा है और उन्होंने जो प्रश्न किया है, उनके प्रति पूरी निष्ठा रखता हूँ और मैं कोशिश करूँगा अपने विभागीय पदाधिकारी से बात करके कि अगर ऐसी कुछ वायविलीटी होगी तो इससे हमलोगों को बहुत खुशी होगी ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, बहुत ही सकारात्मक जवाब दिये हैं ।

श्री विद्या सागर केशरी : धन्यवाद माननीय मंत्री जी ।

तारांकित प्रश्न सं0-06 (श्री हरीभूषण ठाकुर “बचोल”, क्षेत्र सं0-35 बिस्फी)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री : स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि बिस्फी विधान सभा के 13 उच्चतर माध्यमिक एवं 27 उत्कृष्टित माध्यमिक विद्यालयों में विभागीय निदेश के अन्तर्गत अगले एक माह के अन्दर प्रबंध समिति का गठन करा लिया जायेगा ।

श्री हरीभूषण ठाकुर “बचोल” : अध्यक्ष महादेय, पहले प्रश्न में माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि विद्यालय प्रबंध समिति के माध्यम से चहारदिवारी का निर्माण करवा लीजिए। हमलोगों के यहां कोई भी हेडमास्टर प्रबंध समिति बनाने के लिए नहीं खोजा है, मैंने बार-बार डी0ई0ओ0 को कहा.....

अध्यक्ष : एक मिनट, माननीय सदस्य ये अभी पूरक पूछ रहे हैं और आप शोम-शोम कर रहे हैं, इनका प्रश्न ही शोम के लायक है क्या ? आपलोग ऐसा मत मजाक करिए । आपका पूरक प्रश्न पूरा क्या है, पहले उनका पूरक प्रश्न सुन लीजिए, पहले आप बैठ जाइए । माननीय सदस्य श्री हरिभूषण ठाकुर ।

श्री हरीभूषण ठाकुर “बचोल” : विद्यालय प्रबंध समिति सभी विद्यालयों में बनना है और हमारे विधान सभा क्षेत्र में अभी तक एक भी प्रबंध समिति नहीं बन पाया है । मैं बार-बार डी0ई0ओ0 को भी कहा....

अध्यक्ष : अब आप बैठ जाइए, अब आप गंभीरता से सुनिए ।

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री : महोदय,

(व्यवधान)

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, कहीं भी प्रबंध समिति का गठन होता नहीं है

अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक जी, आप बैठ जाइए । माननीय मंत्री जी का, पहले जवाब होगा न । आप बैठ जाइए । यह उचित नहीं है, पहले आप माननीय मंत्री जी का जवाब सुनिए।

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री बचोल जी ने जो कहा है, वह बिल्कुल सही कहा है । हो सकता है कि बहुत सारे माननीय सदस्य जिनकी चिन्ता है, उनके क्षेत्र में उच्च विद्यालय में प्रबंध समिति नहीं बनी हो, इस संभावना से हम इंकार नहीं करते हैं । लेकिन महोदय, बचोल जी का जो प्रश्न है, संयोग से जिस पूरक को वे पहले वाले प्रश्न से जोड़ रहे थे, ये वर्तमान प्रश्न भी बिल्कुल उसी से जुड़ा हुआ है । इन्होंने कहा है कि बिस्फी प्रखंड में किसी विद्यालय में प्रखंड कार्यकारिणी समिति नहीं है । हमने कहा है कि

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति-शांति । आप पूरी बात तो सुनिए ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, बचोल जी के मामले में भी और हम आप सभी माननीय सदस्यों को कहते हैं कि जिनके यहां समिति नहीं बनी है, वो आप लिखकर दीजिए, सरकार एक महीने के अन्दर सारे विद्यालयों में प्रबंध समिति का गठन करा देगी ।

(व्यवधान)

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, माननीय मंत्री जी से यही जानना चाहते हैं कि यह बात पिछले सत्र में भी प्रबंध समिति के गठन के संबंध में बात उठी थी और माननीय मंत्री जी ने कहा था कि शीघ्र गठन कर दिया जायेगा । चार माह महोदय हो गया, हमलोग आपको दावे के साथ कह रहे हैं कि 15 साल से किसी भी विद्यालय में समिति की गठन नहीं हुई है । माननीय मंत्री जी एक निर्देश दें कि एक माह के अन्दर जहां भी गठन नहीं हुआ है, वहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी पर कार्रवाई की जायेगी । जहां भी चहारदिवारी का सवाल हो या और भी विकास का काम हो, यदि प्रबंध समिति के अध्यक्ष लिखते हैं, उसपर कार्रवाई नहीं होती है तो उसको जिला शिक्षा पदाधिकारी संबंधित प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई करने का विचार रखते है या नहीं, इसका जवाब होना चाहिए ।

टर्न-5/ज्योति/27-07-2021

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी । अच्छा एक मिनट, आप भी बोल दीजिये । एक ही बार जवाब देंगे । सभी विधायकों से जुड़ा प्रश्न है, आ जाय विषय सब ।

श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, कोई प्रबंध समिति का गठन नहीं हुआ है, कोई हेड मास्टर सुन नहीं रहा है । हेड मास्टर ऐसे लोग हैं, एक हेड मास्टर हमारे अंग्रेज के जमाने का हाई स्कूल है, उसमें वो बोलते हैं कि प्रबंध समिति क्या होती है, हमको मालूम नहीं है । एक हाई स्कूल है- फौजदार सिंह हाई स्कूल वहाँ के जो प्रिंसपल हैं, तीन चार साल से हैं, प्रबंध समिति नहीं बनाये और उसके बारे सारे शीशम के पेड़ कटवा कर बेच दिए और यह कह कर जितना प्रबंध समिति के माध्यम से पैसा निकालना था उसको प्रिंसपल निकाल कर पैसा सारा खर्च कर दिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : ललित जी, आप अपनी बात कह चुके हैं, अब दूसरे की बात सुनिये माननीय सदस्य ।

श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह : पेड़ का पैसा अपने पौकेट में रख लिए, मैंने डायरेक्टर से दास बार कहा, डायरेक्टर को लिखित दिया, प्रिंसपल सेक्रेट्री को कहा , डायरेक्टर ने दस हजार रुपया लेकर उसको - फिर एफ.आई.आर. हुआ ।

अध्यक्ष : ठीक है, अब हो गया । माननीय नंद किशोर यादव जी ।

श्री नंद किशोर यादव : महोदय,....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यों से जुड़ा गंभीर विषय है, आसन गंभीर है, शांति से सुनिये ।

श्री नंद किशोर यादव : महोदय, पिछले सत्र में इस विषय पर चर्चा हुई थी और बहुत सारे सदस्य, महोदय...

अध्यक्ष : अब सुन लीजिये, माननीय सदस्यों की बात को सुने । सब के हित की बात बोल रहे हैं ।

श्री नंद किशोर यादव : महोदय, पिछली बार इस विषय पर चर्चा हुई थी बहुत सारे सदस्य पहली बार जीत कर आए हैं । प्रबंध समिति बनाने के जो नियम हैं, उसकी जानकारी उनको नहीं है और जो कुछ जानकारी माननीय सदस्यों से मिल रही है वो प्रधानाचार्य नहीं चाहते हैं कि कोई समिति बने उनकी सुविधा के लिए तो पिछली बार मैंने आग्रह किया था माननीय मंत्री महोदय से कि प्रबंध समिति बनने के कई बार संशोधन होते रहते हैं तो जो संशोधित अभी तात्कालिक प्रस्ताव है जो नियम बने हैं वह एक बार माननीय सदस्य को भेज दिए जाते तो माननीय सदस्य भी पहल करते और माननीय सदस्य अगर कमिटी बनाने के लिए पहल करते और जो प्राचार्य उसमें नहीं सहभागी बनते, उसके खिलाफ लिखते तब तो कार्रवाई होती न, तो ठीक है, प्राचार्य नहीं पूछ रहा लेकिन हम जो विधायक हैं, हम भी तो पहल कर सकते हैं, एक बार उसके बारे में शिकायत करें कि इस प्रिंसपल ने बात नहीं सुनी तब कार्रवाई हो इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करुंगा आपने पिछली बार कहा था कि हम भेजवा देंगे लेकिन वह आया नहीं इसलिए मैं आग्रह करुंगा कि अविलंब सभी सदस्यों को एक बार जो आपके नियम हैं प्रबंध समिति बनाने के, उसकी प्रति भेजवा दें ताकि माननीय सदस्य भी पहल कर सकें और इस काम को पूरा कर सकें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य संजय सरावगी जी संक्षिप्त में ।

श्री संजय सरावगी : यह प्रबंध समिति बनाने की चर्चा चल रही है मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या पंचायतों में जो उत्कर्मित होकर प्लस टू उच्च विद्यालय बने हैं उसके प्रबंध समिति बनाने के प्रारूप का निर्णय हो गया है? सरकार निर्णय कर ली है क्या कि वह प्रबंध समिति कैसे बनेगी, प्रबंध समिति बनेगी तो कैसे बनेगी पहले पुराने उच्च विद्यालय और प्लस टू उच्च विद्यालय का प्रबंध समिति कैसे बनेगी उसका निर्णय हो चुका है लेकिन नये जो उत्कर्मित या जो प्लस टू उत्कर्मित हुए हैं या नये उच्च

विद्यालय बने हैं उसके लिए नियमावली बन गयी क्या कि उसकी प्रबंध समिति कैसी रहेगी, कौन उसके अध्यक्ष होंगे यह हो गयी है क्या ?

अध्यक्ष : हरि नारायण बाबू ।

श्री हरि नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मामला अति गंभीर है । सवाल नये सदस्यों का नहीं है । मैं तो 9 बार इस विधान सभा का सदस्य रहा हूँ लेकिन हमारे क्षेत्र में भी हेड मास्टर लोग कहने के बावजूद नहीं बना रहे हैं और जब मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जब यह स्थिति है तो पूरे बिहार की क्या स्थिति होगी, आप उससे स्वयं अवगत होना चाहेंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बिना अनुमति के कोई नहीं खड़े होंगे । माननीय सदस्य विजय शंकर दूबे जी ।

श्री विजय शंकर दूबे : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप विभाग में उसको देखवा लीजिये । 1984 का डायरेक्टर का जो परिपत्र जारी हुआ इस संदर्भ में उसके बाद इसमें कोई परिपत्र जारी नहीं करवाया । परिपत्र जारी हो जाय और उसकी कॉपी सभी माननीय सदस्यों को जो नया अमेंडमेंट किए हैं उसके अनुरूप आप डायरेक्टिव निदेशक से सभी विद्यालयों को जिला शिक्षा पदाधिकारी को और सायमलटेनियसली माननीय सदस्यों को कॉपी भेजवा दें ।

अध्यक्ष : आलोक मेहता जी ।

श्री आलोक मेहता : महोदय, पिछली बार चर्चा हुई थी तो उसमें एक बात की और चर्चा हुई थी कि उसमें उनकी जो जिम्मेवारी है प्रबंध समिति की उसको भी पत्र में मेंशन जरूर किया जाना चाहिए । इसके पहले प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद हुई, पूरे बिहार में सरकार के द्वारा पैसे भेजे गये, जैसे तैसे उपकरण खरीद कर और उसको डाल दिया गया और यह भी पता नहीं कि उपकरण कहाँ है, कोई जाँच करने वाला है कि नहीं, बाद में उसको जब पूछा गया कि आपने किस आधार पर खरीदा तो उन्होंने कहा कि सरकार का एक निर्देश है, उसके लिए एक निर्देश जारी किया गया था कि एक प्रवर समिति शिक्षकों की बनेगी वह खरीद करेगी । लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ प्रबंध समितियाँ 80 प्रतिशत विद्यालय में चल रही है । मैंने अध्ययन किया कि जब प्रोसिडिंग्स लिखा रहा था तो उसमें उन लोगों ने उस खरीद की चर्चा उस प्रोसिडिंग्स में की । मैंने कहा कि जब प्रवर समिति पर सारी जिम्मेवारी सरकार दे रही है इसकी खरीद की तो फिर प्रबंध समिति उसको कैसे एप्रूव करेगी ? आपको या तो उसके पहले उससे एप्रूवल लेना चाहिए था परचेज से पहले और उसका नियम निर्धारित होना चाहिए था लेकिन यह सब कुछ नहीं हुआ । मैं समझता हूँ कि पूरे बिहार में ऐसा

हुआ होगा, सारे सदस्यों ने अपनी भावना व्यक्त की तो महोदय, इसपर बहुत प्रेसाईजली अध्ययन करके और एक सर्कुलर बनाकर माननीय सदस्यों को हमलोगों को शिक्षक कहीं से- लगता है जैसे अर्काईव से निकालकर परिपत्र देते हैं कि यही नियम है और जो बोलते हैं उसके हिसाब से करना होता है लेकिन सभी माननीय सदस्यों का सवाल है उसको सरकार गंभीरता से लें और एक पूर्ण परिपत्र माननीय सदस्यों को सर्कुलेट करे ।

श्री निरंजन मेहता : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली बार जो सदन में चर्चा हुई थी । मैं आभार व्यक्त करता हूँ । माननीय शिक्षा मंत्री सुना जाय एक मिनट । पिछली बार जो सदन में चर्चा हुई थी प्रबंध कारिणी समिति के गठन हेतु माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा हमलोगों को जिला शिक्षा पदाधिकारी मधेपुरा के द्वारा हमको पत्र मिला है, इनका निर्देश मिला है । मेरे विधान सभा क्षेत्र में चार प्रखंड है- उदाकिशुनगंज प्रखंड में अंत में मेरा सात विद्यालय है, सातों का मैंने प्रबंध समिति इनके गजट के अनुसार गठन किया है और कोई प्रधानाध्यापक को बुलायेंगे और नहीं आयेगा किसका मजाल है कि प्रधानाध्यापक नहीं आयेगा और हमारा कंट्रोल होता है । तीन प्रखंड बचा है उसका भी गठन करुंगा और पहले भी मैं किया हूँ । जिस हेड मास्टर को बुलायेंगे वह नहीं आयेगा किसका मजाल है कि प्रधानाध्यापक नहीं आयेगा । उसको सरकार क्या देखेगी ?

अध्यक्ष : आप बैठ जाईये । श्री राज कुमार जी ।

श्री राज कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय नंद किशोर बाबू की बातों से इत्तेफाक रखता हूँ कि इसमें हमारी तरफ से भी पहल होनी चाहिए । मैं जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा में अभी 38 उच्च विद्यालय हो गए हैं और जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया था सभी प्रबंध समितियों के गठन का और मैंने पहल किया और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 38 में 38 विद्यालयों में प्रबंध समितियों का गठन हुआ ।

अध्यक्ष : ठीक है, बैठिये । अब एक ही प्रश्न पर कितना होगा ?

टर्न-6/पुलकित-अभिनीत/27.07.2021

श्री सत्यदेव राम : महोदय, और बहुत सारे जो विद्यालय हैं, प्रबंध समिति के अध्यक्ष की अनुशंसा पर राशि खर्च करने की जो बात है, प्रधानाध्यापक ने मनमाने तरीके से वे सारे पैसे खर्च कर

लिए हैं। महोदय, दूसरी बात है कि रात्रि प्रहरी का चयन किया जा रहा है उसमें जो रात्रि प्रहरी का चयन करना है वह प्रबंध समिति के जिम्मे है या प्राधानाध्यापक के जिम्मे है, हमारी बात मंत्री जी नहीं सुन रहे हैं, माननीय मंत्री जी से मैं स्पष्टीकरण चाहता हूँ।

अध्यक्ष : अब बैठ जाइये। अब अखतरूल ईमान जी।

अब लास्ट है, बैठ जाइये।

श्री अखतरूल ईमान : सर, मुद्दे की अहमियत यह है कि आपने समय भी दिया है और पूरा सदन गर्म है। मामला यह है कि स्कूल में नियम और नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है। यह कोई नया विधायक शिकायत नहीं कर रहा है, जो हमारे कई बार मंत्री रहें, हरि नारायण बाबू शिक्षा मंत्री रहें, जब शिक्षा मंत्री के क्षेत्र में उनके आदेश का पालन अगर शिक्षक नहीं करता हो तो स्कूल का मेयार कितना गिरा है यह देखने की जरूरत है और करप्शन के अड्डे बन गए हैं इसको जरा देखने की जरूरत है।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

(व्यवधान)

अब बैठ जाइये। अब सारा विषय आ गया है। एक ही विषय को दोहराने से...

(व्यवधान)

माननीय मंत्री जी।

आप बैठ जाइये। माननीय सदस्य बैठ जाइये। यह गलत है कोई भी बात आपकी प्रोसीडिंग्स में नहीं जायेगी। अब सारे सदस्यों का आ गया है। अब बैठ जाइये। माननीय मंत्री जी।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले इस प्रश्न में जितने भी माननीय सदस्यों ने रूचि दिखायी है और पूरक पूछा है, मैं विभाग और सरकार की तरफ से उनके प्रति शुक्रगुजार हूँ। महोदय, जो मूल रूप से...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब सुन लिया जाय। अब आपलोग बैठ जायें। सुनिये।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, जब पूरक पूछे जा रहे थे तो हम तो बड़े ध्यान से सुन रहे थे, अब आपको क्या हो रहा है ? इसलिए महोदय हम सिर्फ यह कहना चाहते हैं और मुझे प्रसन्नता है इस बात की कम-से-कम इतने सारे माननीय सदस्य जागरूक हैं शिक्षा के प्रति और शिक्षण संस्थान के प्रति, इसलिए हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। महोदय, इसमें मूल रूप से जो दो-तीन बातें आयी हैं उसके संबंध में मैं स्थिति स्पष्ट

जरूर करना चाहता हूँ । सबसे पहली बात जो हमारे माननीय नंद किशोर यादव जी ने कहा या विजय शंकर दूबे जी ने कहा कि इसके संबंध में...

(व्यवधान)

आप हड़बड़ा क्यों रहे हैं, हम सब पर आयेंगे लेकिन धैर्य रखिए । महोदय, जहां तक उसके संबंध में परिपत्र की बात है तो माननीय सदस्य का सुझाव ठीक है कि पहली बात जो भी परिपत्र है उसको हम माननीय सदस्यों के बीच अलग से वितरित करा देते हैं । दूसरी बात, महोदय, यह भी उसके साथ जुड़ी हुई है कि इस परिपत्र की प्रति सदस्यों को पहले भी गयी है और जो हमारे दूसरे सदस्य तो इधर के जो बोले तो बोले और हमारे आलोक मेहता जी ने बहुत सारे प्रश्नों का निदान कर दिया, उन्होंने बताया कि उनके क्षेत्र के भी 80 प्रतिशत विद्यालयों में प्रबंधकारिणी समिति गठित है । कुछ इसका पक्ष यह भी है कि जो बहुत सारे माननीय सदस्य बैठकर सिर हिला रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि आप यह कहना चाह रहे हैं कि उनके यहां भी विद्यालयों में प्रबंध समितियाँ गठित हैं, बहुत सारे सदस्य बोल रहे हैं । कुछ लोगों ने बोला भी है और कुछ लोग मौन...

(व्यवधान)

सुन लीजिए न और महोदय.. आपके प्रश्न का भी जवाब देंगे आप ठहरिए न । हरि नारायण बाबू भी जो कह रहे हैं । हरि नारायण बाबू की चर्चा चूंकि आपने विशेष रूप से की है, इसलिए मैं विशेष रूप से हरि नारायण बाबू को भी कहना चाहता हूँ कि वे शिक्षा मंत्री भी रहे हैं किस प्रधानाध्यापक ने ये हिमाकत दिखाई है, अगर वे लिखकर देंगे उस पर जरूर कार्रवाई की जायेगी । दूसरी बात महोदय, जहां भी विद्यालय प्रबंध समिति नहीं गठित हुई है, अब संजय सरावगी जी ने भी जो बात उठाई है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सुनिये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : कि जो हमारे नव उत्क्रमित विद्यालय से उच्च विद्यालय या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं यानी 10th वाले हैं या 10+2 वाले हैं इन्होंने कहा है कि उसके लिए है कि नहीं है, तो हम सदन को और सभी माननीय सदस्य को बताना चाहते हैं कि जो भी परिपत्र पहले से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए निर्गत है वही परिपत्र नव उत्क्रमित उच्च और उच्च माध्यमिक विद्यालयों पर भी लागू होंगे, यह बात स्पष्ट है । तीसरी बात, कि ललित जी ने बड़ा ही माकूल प्रश्न पूछा, प्रश्न तो पूछते हैं ठीक, लेकिन जवाब सुनने का धैर्य नहीं रखते, महोदय, हम इनके पूरक पर आ ही रह थे और इसलिए सबसे अंत में हम आपके पूरक पर आते हैं, इसलिए कि देखते हैं कि आप

सबका सुनते हैं कि नहीं और महोदय, जो ललित जी ने पूछा है कि जो भी पदाधिकारी, आपने कब लिखकर दिया है प्रबंधकारिणी समिति गठित करने के लिए दिया है ? कब शिक्षा विभाग के कार्यालय को आपके पत्र प्राप्त हुए हैं, उसकी सूचना के साथ अगर वे अभी तक नहीं किये गये हैं तो आप उपलब्ध करायें । महोदय, विभाग के द्वारा निश्चित रूप से कार्रवाई की जायेगी ।

अध्यक्ष : चलिये ।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, पत्र जारी करना सरकार का दायित्व बनता है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जाइये ।

माननीय मंत्री जी, एक माह के अंदर सभी विद्यालयों में प्रबंध समिति गठित हो जाये और जो सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हैं, चाहे स्थापना हो, उत्क्रमित हो, सभी विद्यालयों के अंदर प्रबंध समिति गठित हो जाय ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, यही तो हमने कहा ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रस्ताव पर....

अध्यक्ष : एक प्रश्न और है । माननीय सदस्य, श्री विजय कुमार खेमका ।

(व्यवधान)

मदरसों में भी प्रबंध समिति गठित है जो भी सरकारी लाभ विद्यालय उठाते हैं, सभी विद्यालयों में प्रबंध समिति का गठन एक माह के अंदर सरकार करावे ।

चलिये, अब बैठ जाइये ।

तारांकित प्रश्न- 7, (श्री विजय कुमार खेमका, क्षे0 सं0- 62, पूर्णियां)

(लिखित उत्तर)

श्री आलोक रंजन, मंत्री : महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है ।

कोरोना महामारी के कारण वर्तमान में सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक है । सांस्कृतिक कार्यक्रम के आरंभ होने के उपरांत लोक देवता सहलेस तथा बिहुला विशहरी उत्सव को राज्य उत्सव के रूप में मनाने पर विचार किया जायेगा ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, कला संस्कृति, युवा विभाग के मंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि लोक देवता जो हमारे उत्तर बिहार से लेकर नेपाल और मिथिला, कोसी और सहरसा के बीच में महाराजा सहलेस और बिहुला विशहरी की पूजा होती है, वो घर-घर होती है । कोरोना के कारण इन्होंने कहा है कि हमलोगों द्वारा इसको राज्य उत्सव मनाने का विचार किया जायेगा, अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा मैं इनको धन्यवाद देता हूं ।

टर्न-7/हेमन्त-धिरेन्द्र/27.07.2021

अध्यक्ष : अब धन्यवाद दे दिये तो पूरक क्या करियेगा ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, एक समय-सीमा निर्धारित कर दें हमारे मंत्री जी ।

श्री आलोक रंजन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जब महोत्सव शुरू होगा उसमें इनका महोत्सव शुरू कर दिया जायेगा ।

अध्यक्ष : अब तारकित प्रश्न समाप्त हुए । प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिया जाय ।

अध्यक्ष : अब कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जायेगी।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 27 जुलाई, 2021 के लिए माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा से कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। आज सदन में राजकीय विधेयकों के व्यवस्थापन का कार्यक्रम निर्धारित है। अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अमान्य किया जाता है। अब शून्यकाल लिये जायेंगे।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, हमारे इस प्रस्ताव के लिए आपने कल कहा था कि आज शोक है इसलिए आप कल पेश कर सकते हैं। महोदय, हमने आपको लिखित में भी सूचित किया है।

अध्यक्ष : प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं है। आप कुछ कहना चाहते हैं तो दो मिनट में अपनी बात रखिये।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, हम आपका संरक्षण चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम यहां दो प्रस्ताव रखने का काम करें। ज्यादा हम समय नहीं लेंगे।

अध्यक्ष : प्रस्ताव नहीं अपनी बात को रखें।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र में विरोध बुनियादी है। 23 मार्च को जो घटना हुई, जो काला दिन के रूप में सारे देशवासियों ने देखने का काम किया। हम चाहते हैं महोदय, जो शर्मसार हुआ लोकतंत्र....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये, शांति बनाये रखिये।

(व्यवधान जारी)

नेता प्रतिपक्ष, आप बैठ जाइये।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : हम तो अभी बोले ही नहीं हैं।

अध्यक्ष : आपको फिर मौका दिया जायेगा, आप बैठिये। सभी सदस्य बैठ जाइये और आप भी माननीय सदस्य बैठ जाइये। बैठ जाइये सभी सदस्य बैठ जाइये।

(व्यवधान जारी)

बैठ जाइये सभी सदस्य। आपका कोई शब्द प्रोसीडिंग में नहीं जायेगा।

(व्यवधान जारी)

प्रोसीडिंग में कोई भी ऐसे शब्द नहीं जायेंगे जो असंसदीय होंगे । पहले सब बैठ जाइये, तभी हम सुनेंगे । चौधरी साहब, सभी माननीय सदस्य बैठ जाइये । लोकतंत्र में, सदन में सबको बोलने का अधिकार है । बैठ जाइये सभी सदस्य ।

(व्यवधान जारी)

आप बैठ जाइये । उत्तेजना दिखाने की जगह नहीं है, आप बैठ जाइये । बैठ जाइये, आलम जी । जिनको आसन अनुमति देगा वही बोलेंगे ।

(व्यवधान जारी)

आलम जी, बैठ जाइये । ललित जी, बैठ जाइये । आप बैठ जाइये, बैठ जाइये ।

(व्यवधान जारी)

आपके कहने से आसन नहीं सुनेगा, आसन पर सभी सदस्यों का अधिकार है । अब सुनिये, सभी सदस्यों का अधिकार है और एक चीज कह देते हैं, अब ध्यान से सुनिये, अब हम कहते हैं, आप लोग सुनिये । उसके बाद हम सबको मौका देंगे बोलने का और आलम जी, आप व्यग्र मत होइये, बैठिये, सुनिये हमारी बात को । सबको मौका मिलेगा । देखिये, सभी माननीय सदस्यों को अपनी बात रखने का अधिकार है और आसन जब निर्देशित करता है, अनुमति देता है तो वह बात रखते हैं तो गौर से सुनें और सदन के अंदर उसका जवाब सबको मौका मिलेगा, आपके नेता बोलेंगे । प्रतिपक्ष हो या सत्तापक्ष हो सबको हम मौका देंगे और हमने कल ही कहा है कि विरोधी दल को हम बोलने का मौका देंगे । अब आप शांति से सुनिये । यहां जो विमर्श हुआ, जिस विषय पर विमर्श हुआ, सदन के लिए, पूरी विधायिका के लिए आवश्यक था । इससे संसदीय परंपरा समृद्ध होगी । यह आत्म चिंतन का समय है, आत्म विश्लेषण का समय है । घटनाओं का घटित होना प्रकृति का नियम है परन्तु कभी-कभी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो हमें हमेशा कोसती रहती हैं, हमें यह महसूस होता है कि अगर हम ऐसा नहीं किये होते तो शायद यह नहीं घटित होता । अगर ऐसा हो ही गया तो हमें इसके आगे कुछ नहीं करना चाहिए था । आज इस सदन में आप सब की भावनाओं में कहीं-न-कहीं पश्चाताप के कुछ स्पंदन मुझे महसूस हुए हैं, यह सुखद है लोकतंत्र के लिए । माननीय सदस्यगण, 23 मार्च, 2021 को जो घटना यहां घटित हुई थी, वह अभूतपूर्व थी । सदन में विरोध, कुर्सी पटकना, एक-दूसरे पर बाहें चढ़ाना कोई नई घटना नहीं है । पूर्व में भी इस सदन में ऐसी घटना घटित हुई है, यही नहीं देश के अन्य विधायी निकायों, लोकसभा एवं राज्यसभा में भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं । यहां तक कि बिहार विधान सभा में किसी सदस्य या कई.....

(व्यवधान)

आप सुनिये । आप, कई सदस्यों द्वारा जब-जब भी इस तरह का अमर्यादित आचरण किया गया है, तब-तब सरकार की ओर से इन विधायकों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव आया है । उन्हें सदन द्वारा दंडित भी किया गया है । दिनांक 06 अगस्त, 2015 को तत्कालीन मंत्री, संसदीय कार्य के प्रस्ताव पर माननीय सदस्या श्रीमती ज्योति रश्मि को सदन से और समिति से भी निलंबित किया गया था । दिनांक 02 मार्च, 2012 को तत्कालीन मंत्री, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव जी के प्रस्ताव पर माननीय सदस्या श्रीमती ज्योति रश्मि को पांच उपवेशन के लिए निलंबित किया गया था । दिनांक 21 जुलाई, 2010 को तत्कालीन मंत्री, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव जी के प्रस्ताव पर 71 सदस्यों को सदन से निलंबित किया गया था । दिनांक 02 अगस्त, 1999 को तत्कालीन मंत्री, श्री रामचंद्र पूर्वे जी के प्रस्ताव पर माननीय सदस्य, श्री दिलीप वर्मा को दो उपवेशन के लिए निलंबित किया गया था । उस दिन की घटना सदस्यों के आवेश की उत्तेजना की पराकाष्ठा थी, सब कुछ हाथ से निकल चुका था, चीजों को व्यवस्थित करने के लिए अंततः कुछ कठोर कदम उठाने पड़े । मैं नहीं समझता हूँ कि आप विरोधी दल के सदस्य या सत्ता पक्ष के सदस्य संसदीय परम्पराओं का निर्वहन करने में देश के किसी भी विधायी संस्था से कमतर हैं । ये आप ही हैं, जिन्होंने पिछले 22 दिन के सेशन में 21 दिन तक बेहतरीन तरीके से सदन चलाकर, सदन के शत-प्रतिशत सूचीबद्ध कार्यों को पूरा किया । आप ही लोग हैं और आपके सहयोग से चला है । जनता के सवाल को उठाया, सरकार की नीतियों का विरोध किया, सरकार की बयानबाजी का प्रतिवाद किया, इस राज्य के वित्तीय कार्यों पर सकारात्मक विमर्श किया, बजट भी पारित हुआ, सरकार की संवेदनशीलता और सजगता प्रश्न के जवाब के माध्यम से भी आयी परन्तु ये आप ही थे जिन्होंने एक काला धब्बा अपने चेहरे पर लगा दिया । यह आसन क्या है ? यह आसन इस सदन का कस्टोडियन है, यह सदन को सही दिशा प्रदान करने का उपक्रम है ताकि राज्य की जनता का हित साधा जा सके । अगर आप इस आसन का ही अपमान करेंगे, इसे कमरे में बंद कर देंगे, फिर सदन में अराजक स्थिति पैदा हो जायेगी । यही उस दिन हुआ, यह अजीब था, मेरे अब तक के संसदीय जीवन में इस तरह की घटना मैंने नहीं देखी, कई वरीय सदस्यों ने भी बताया कि ऐसी घटना घटित नहीं हुई । मैं आहत था, दुखी था, मैंने कई बार सोचा कि ऐसा क्यों हुआ ? मैंने तो कहा भी कि अमर्यादित आचरण को फुटेज के आधार पर देखा जायेगा, इसी आसन से । उस पर कार्रवाई की जायेगी, मैंने उस पर समग्र रूप से विश्लेषण करने के लिए ही इसे आचार समिति को सौंपा है । समिति के प्रतिवेदन

आने पर, उसकी अनुसंशा आने पर, मैं उसे आप सब के समक्ष रखूंगा, फिर निर्णय आपका होगा। मैं तो इस पीठ पर बैठकर इतिहास की इस दुर्घटना का साक्षी हो चुका हूँ। मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि बिहार विधान सभा की इस ऐतिहासिक सदन में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति कभी न हो। मैं इसे सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आपलोगों को यह एहसास दिलाना चाहता हूँ कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप सब संवेदनशील व्यक्ति हैं, इस राज्य की जनता का आप पर पूरा भरोसा है, आप सब उस घटना से सबक लें, संकल्प लें तो शायद भविष्य काफी उम्मीद भरा होगा, रचनात्मक होगा। वह सदन न आखिरी था और न यह सदन आखिरी है, यह सतत प्रक्रिया है। काफी जद्दोजहद के बाद इस देश में एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हुई है। कई लोग आप पर आखें गड़ाये बैठे हैं।

(क्रमशः)

टर्न-8/सुरज-संगीता/27.07.2021

(क्रमशः)

अध्यक्ष : आपके आंगन में घुस सकते हैं, आपकी स्वतंत्रता, आपके विशेषाधिकार की धज्जियाँ उड़ा सकते हैं इसलिए सचेत रहिए, आप समझ रहे हैं कि हस्तक्षेप करने का मौका बहुत लोगों को मत दीजिए। सदन में आसन की गरिमा सर्वोपरि है। जब आसन की मर्यादा और गरिमा ही नहीं रहेगी तो लोकतंत्र का क्या मतलब रह जायेगा? विरोध हो, जरूर हो लेकिन विरोध मर्यादित और संसदीय परंपराओं के अनुकूल होना चाहिए। सदन में अनुशासन, संयम और मर्यादित आचरण जरूरी है। सदन नियम और परंपराओं के अनुसार चलता है। सदन के अंदर किसी तरह के भ्रम की स्थिति नहीं रहनी चाहिए। सबको बातों की जानकारी होनी चाहिए। किसी को कलंकित और बदनाम करने के बजाय हमें सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपनी सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। हमें आपसी मतभेद भुलाकर अपनी रचनात्मक भूमिका और अपने अनुशासन, संयम तथा आचरण से विकास का नया पैमाना गढ़ना होगा। सदन में किसी भी सदस्य की मनोवृत्ति नहीं होनी चाहिए कि किसी सदस्य की छवि को धूमिल करें, किसी सदस्य को कलंकित करने की मानसिकता का परित्याग करना हम सबों की जिम्मेवारी है। यहां राजनीति नहीं हम जो भी करते हैं, ईश्वर या खुदा इसे नहीं जानता है यह नहीं समझना चाहिए। लाखों लोगों की निगाह आपकी तरफ देख रही है। पूरे बिहार की जनता, देश की जनता देख रही है। हम चालक बनें, चालाक नहीं। आप सभी इस बिहार के जनता रूपी गाड़ी के

स्टेयरिंग पर बैठे हैं। बिहार की जनता के द्वारा आप माननीयों को बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई है। सदन में आप सभी सकारात्मक वातावरण तैयार कर बिहार के विकास में गवाह नहीं भागीदार बनें। मेरा आग्रह है, निवेदन है सदन की गरिमा को बरकरार रखिये। आपका व्यवहार आगे की सारी व्यवस्था को चिन्हित करेगा और सारे कार्य को प्रभावित करेगा। मैंने नेता, प्रतिपक्ष को जो दो मिनट बोलने के लिए कहा है तो ध्यान से सुनिए, इसमें उत्तेजना कतई मत फैलाइये। बोलिये नेता प्रतिपक्ष।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, बड़ी आशाएं हैं कि इस लोकतंत्र के मंदिर के मान-सम्मान और मर्यादा, बुनियाद को आप बचाने का काम करेंगे। हम सब लोगों को उम्मीद है। लोहिया जयन्ती, भगत सिंह जी जिस दिन शहीद हुए, शहादत दिवस के रूप में हमलोग मनाते हैं 23 मार्च, उस दिन जो भी घटना हुई, कैसे और क्यों हुआ यह हम नहीं बताना चाहते हैं, सब लोगों ने और हम आप कौन होते हैं तय करने वाले, आपने ठीक ही कहा कि देश की जनता देख रही है देश की जनता ही जज है, वही डिजाइड कर रही है महोदय। लेकिन एक बात सोचना पड़ेगा महोदय...

अध्यक्ष : आसन की ओर देख कर बोलें।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : एक बात सोचना पड़ेगा कि लोकतंत्र के मंदिर में विधायकों की अगर पिटाई होती है तो विधायकों का क्या मान-सम्मान रह जायेगा? आप देखिएगा कार्रवाई जो भी हुई लेकिन 2 मात्र पुलिसकर्मी जो हैं, सिपाही, उनको निर्लंबित किया गया है। महोदय, आज विधायक का जो मान-सम्मान है कल को कोई भी विरोध करेगा, सत्ता आती-जाती रहती है, कल को फिर से ऐसा वातावरण होगा महोदय तो कल को कोई भी पुलिस वाला विधायक को गोली मार देगा फिर कार्रवाई के नाम पर दो सिपाही को आप निर्लंबित कर दीजिएगा, यही होगा महोदय। लेकिन एक बात आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि आखिर यह हुआ क्यों? हम नहीं चाहते महोदय कि हम इस पर ज्यादा विश्लेषण करें लेकिन आप बहस अगर करा देते तो सारे सदन में जितनी पार्टियां हैं, ऑल पार्टी के लोग जो हैं सबको टाइम अलॉट हो जाता, सब अपनी बात को रखते और एक आपको भी मौका मिलता जो दाग लगा है उस दाग को धोने का भी मौका मिलता। किसकी गलती है, क्यों हुई है ये सारी बात जो है सामने पटल पर आ जाती महोदय, ऑन रिकॉर्ड आ जाता लेकिन कार्रवाई होती रही है कुछ लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं लेकिन हमारा ये है, अब विधायक लोगों का तो फंड भी ले लिया गया। विधायक लोगों को जब विधानसभा में ही पीटा जाएगा, भद्दी-भद्दी गालियां दी जाएंगी लेकिन कार्रवाई के नाम पर तो किसी पर भी कोई अधिकारी, बड़े अधिकारियों पर नहीं हुई महोदय।

आखिर सिपाही की तो हिम्मत नहीं है कि विधायक को पीट दे विधान सभा के अंदर । किसी न किसी के निर्देश पर हुआ होगा तो हम नहीं चाहते महोदय कि इस पर हम ज्यादा विश्लेषण करें लेकिन हम आपसे फिर से अनुरोध करेंगे यह पहला प्रस्ताव जो है सर्वसम्मति से पास किया जाय । महोदय, इस पर बहस करा लिया जाय । सदन में जितने लोग हैं सब बहस कर लें महोदय कि क्या बात है, क्या नहीं है ? महोदय, सरकार भी चाहती होगी बहस करना । हमारी गलती है तो आप बताइये आपकी गलती होगी तो हम बतायेंगे और गलती से हमलोग सुधार करके आगे बढ़ें । महोदय, हमलोग चाहते हैं शांतिपूर्वक सदन चले और हम लोग पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं । दूसरा प्रस्ताव मेरा यह होगा कि जातीय जनगणना को लेकर...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य पहले एक पर हो जाये । पहले एक पर बात हो जाय...

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : एक मिनट महोदय...

अध्यक्ष : एक विषय पर आ जाने दीजिये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, हम वाइंडअप कर देंगे फिर इकट्ठे जो होगा बोल देंगे । जातीय जनगणना को लेकर के केन्द्र सरकार ने...

अध्यक्ष : सुझाव है ?

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, सुझाव है सुन लीजिये । जातीय जनगणना को लेकर केन्द्र सरकार ने मना कर दिया लेकिन आप सब लोग महोदय, आप भी गवाह हैं कि दो बार इस सदन ने जातीय जनगणना का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया है ।

अध्यक्ष : ये दूसरा विषय है...

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, हम सुझाव दे रहे हैं ।

अध्यक्ष : अभी देखिये आपने जो विषय अभी गंभीरता से रखा है उस पर संसदीय कार्य मंत्री जी एक बार...

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : एक मिनट महोदय, हम वाइंडअप कर रहे हैं सुन लिया जाय । हड़बड़ाहट किस बात की है महोदय, गंभीर विषय है और पूरे सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित हुआ था कि जातीय जनगणना की गिनती हो लेकिन क्या मर्यादा रह जायेगा इस विधायिका का, लोकतंत्र के मंदिर का । हम ये सुझाव देना चाहते हैं कि लिखित में अब तो केन्द्र सरकार ने मना कर दिया है । मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही भले एक विधान सभा की कमेटी जाकर के प्रधानमंत्री जी से समय लेकर जाकर मिले और जातीय जनगणना कराए महोदय हमलोग...

अध्यक्ष : माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : एक मिनट, पहले तो हम धन्यवाद दे दें जैसे आपने नेता प्रतिपक्ष को सुना जैसे ही संसदीय कार्य मंत्री एवं जो वरीय लोग बोलें हमलोगों को अपने व्यवहार से इसको दिखाना है कि बिहार विधान सभा में जो सभी सदस्य हैं कुछ बेहतर करना चाहते हैं । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उस दुःखद दिन के दुःखद घटना के संबंध में जो आपने अपनी राय रखी है सबसे पहले तो हम सदन को यह बताना चाहते हैं कि सरकार पूरी तरीके से और सत्ता पक्ष पूरी मुस्तैदी से आपने जो भावना प्रकट की है हम उसके साथ हैं । उस दिन की दुःखद घटना हमने पढ़ी है । नेता प्रतिपक्ष भी मानते हैं कि उस दिन की घटना यह एक लोकतंत्र को कलंकित करने वाली घटना थी इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं हो सकता है लेकिन सोचने की बात महोदय यह है कि लोकतंत्र बसता कहां है, लोकतंत्र का निवास स्थान कहां है अगर लोकतंत्र कलंकित होता है, अगर हमारी व्यवस्था लहू-लुहान होती है तो वह जगह कौन सी है कि जहां पर अगर उसकी इज्जत और आबरू रेजी की जाय तो उससे लोकतंत्र ज्यादा कलंकित होगा । महोदय, यह हम सब जानते हैं कि अपने जनतंत्र में संप्रभुता जो सोवरनिटी कहती है वह जनता के पास होती है उसके आदेश और उसके प्रतिनिधि के रूप में हमलोग यहां पर उस संप्रभुता का उपयोग करते हैं, सरकार चलाते हैं, कानून बनाते हैं । महोदय, आपने एक बड़े ही सही चीज की ओर इशारा किया है कि पूरी दुनिया, पूरा देश देख रहा है कि हम सभी माननीय सदस्यगण, जिनको जनता ने अपना विश्वास देकर जनतंत्र की रक्षा करने, जनतंत्र की हिफाजत के साथ जनहित का काम करने के लिए यहाँ भेजा है, हमारा आपका आचरण उस अनुरूप में होता है कि नहीं होता है इस पर जनता जरूर देखती है और सोचती है । महोदय, आपने सही कहा है कि अभी यह समय हम सबलोगों के लिए सबके लिए सचेत होने का समय है कि अगर हम नहीं सचेत हुए तो आने वाली हमलोगों की पीढ़ी जो होगी, जनप्रतिनिधियों की पीढ़ी वह हमें नहीं माफ करेगी क्योंकि हमलोग अपने आचरण से सरकार के दूसरे अंगों को अपने कार्यों में हस्तक्षेप करने का मौका दे रहे हैं ।

(क्रमशः)

टर्न-9/मुकुल-राहुल/27.07.2021

क्रमशः

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, अभी कुछ ही दिन पहले माननीय उच्चतम न्यायालय ने क्या कह दिया, केरल के मामले में । महोदय, संविधान के अनुच्छेद 212 के तहत हमें पूर्ण निर्बन्धनता है कि हम यहां पर जो कुछ करेंगे, जो कुछ बोलेंगे उसकी न्यायालय में समीक्षा नहीं की जा सकती है, संविधान ने हमको यह सेफगार्ड और यह इम्युनिटी दी है कि हम जो करेंगे, बोलेंगे वह दूसरे नहीं पूछ सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों बोला है, उसके लिए हम कहीं पर अकाउंटेबल नहीं हैं । सदन के सदस्य अगर कहीं पर अकाउंटेबल हैं तो या तो इस आसन के प्रति नहीं तो फिर जनता के प्रति, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने अभी 10 दिन पहले की बात है, उसने केरल के मामले में क्या कह दिया है कि हम आपकी इम्युनिटी मानते हैं लेकिन वह स्वतंत्रता आपको किसी विषय पर अपने विचार रखने के लिए है, विमर्श करने के लिए है, वाद-विवाद करने के लिए है, अपनी राय रखने के लिए है, लेकिन अगर आप सदन में कोई आपराधिक कृत्य करते हैं या कोई नियम तोड़ने का कृत्य करते हैं तो आप नियम तोड़कर, आपराधिक कृत्य करके संविधान के उस....(व्यवधान)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, ये अपराधी हम लोगों को नहीं कह सकते हैं ।

(व्यवधान जारी)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अपराधी हम आपको नहीं कह रहे हैं ।

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, ये केरल की बात बता रहे हैं ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अरे, सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है हम उसी को कह रहे हैं ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है उसी को मंत्री जी कह रहे हैं । आप बैठ जाइये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट...

अध्यक्ष : आप बैठ जाइये, इनको बोलने दीजिए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट...

अध्यक्ष : इनके बाद आपको एक मिनट देंगे, अभी आप बैठ जाइये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, हमने यह नहीं कहा कि किसी माननीय सदस्य ने यहां विधान सभा में कोई आपराधिक कृत्य किया है, हम तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के केरला के मामले में जो उसकी टिप्पणी है, जो ऑब्जर्वेशन है हम उसको कोट कर रहे थे । हमने अभी तक कहां कहा है कि यहां पर कोई आपराधिक चरित्र के हैं । महोदय, ...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, गंभीरता से सुनिये, ध्यान से । हम एक चीज बता देना चाहते हैं कि जो अनुभव वरीय लोगों का है, नये सभी लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए । आलम जी ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, उसके तहत उसने यह भी कहा है, हम तो सिर्फ माननीय नेता प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष ।

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, सुन रहे हैं ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : आप ही को हम कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ यह इशारा कर रहे हैं कि हमको घेरने के लिए कहां-कहां से हाथें बढ़ रही हैं, ऊंगलियां उठ रही हैं, सचेत हमको होना है । महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने उसी मामले में कह दिया कि इस सदन के अंदर ये कुर्सी, टेबुल, आसन और माइक ये जितनी चीजें हैं, ये सब पब्लिक प्रोपर्टी हैं, ये सब सरकार के पैसे से बनी हुई चीजें हैं और अगर इनको नुकसान होता है तो डैमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी में जो धाराएं लगती हैं वे सदन के अंदर भी अगर माननीय सदस्य ऐसा कृत्य करते हैं तो वे धाराएं उन पर लगेंगी और उसका मामला बनेगा । महोदय, हम तो सिर्फ सचेत कर रहे हैं कि देखना, सोचना यह है कि हम अपने लोकतंत्र और अपने विधायिका की इज्जत किस तरफ ले जाना चाहते हैं कि लोग हमें श्रद्धा की नजर से देखें या लोग हम पर आईपीसी, सीआरपीसी की दफा लगाने के लिए हम लोगों को देखें और जहां तक माननीय नेता प्रतिपक्ष ने उस दिन की घटना और जांच के या उसमें दोषी अपराधी की बात की है । महोदय, सरकार का और पूरे सत्ता पक्ष का पूर्ण विश्वास इस आसन के साथ है और उस दिन चाहे सदन के अंदर जो घटनाएं घटीं या सदन के बाहर जो घटनाएं घटीं, संयोग से सभी कुछ बाहर भी व्हॉइट-लाईन के अंदर है, जो बिल्कुल आपके विशिष्ट क्षेत्राधिकार में है उसमें सरकार की कुछ चलती नहीं है, सरकार कहीं मायने नहीं रखती है, सरकार की कोई भूमिका नहीं है । यहां पर जो आप कहेंगे वही होगा और हमने पहले भी कहा है कि सरकार पूरे विश्वास के साथ और अन्त में हम यही कहेंगे कि हमारे बहुत सारे, अरे घबरा क्यों रहे हैं हम कोई ऐसी बात तो कह नहीं रहे हैं । महोदय, जो...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति बनाए रखिए ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, जो नेता प्रतिपक्ष ने कहा है वह सही कहा है सारी चीजें आपके संज्ञान में हैं और हमने कहा कि हमको पूर्ण भरोसा है इस आसन पर कि आप वीडियो फुटेज देख लें, सारी चीजें, जिसके कारण उस दिन अव्यवस्था फैली, हम तो यही

कहते हैं कि जिनके कारण अव्यवस्था या उस दिन का काला अध्याय बिहार की विधायिका में जुड़ा उनको आप चिन्हित करके, चाहे सरकारी अधिकारी हों या माननीय सदस्य हों, जो भी इसके लिए जिम्मेवार हों आप कार्रवाई करिए, सरकार आपकी कार्रवाई के साथ है। महोदय, अब और कुछ नहीं कहना चाहते, अभी तेजस्वी जी सरकार की बात कह रहे थे। हम लोगों की सरकार, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तो हम संवैधानिक और प्रजातांत्रिक मूल्यों को ऊपर उठाने वाले हैं, ऊपर ले जाने वाले हैं, हम लोग कोई नीचे ले जाने वाले नहीं हैं। महोदय, अन्त में...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति बनाए रखिए, सुन लीजिए। सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष दोनों एक-दूसरे को गंभीरता से सुनिश्चिता तब न अपनी बात को विमर्श करिएगा।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, आप जो निर्णय लीजिएगा आपके क्षेत्राधिकार में है और अन्त में दो पंक्ति कहकर हम समाप्त कर देंगे, ये अंतिम दो पंक्ति हैं...

अध्यक्ष : यह सार है।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, यह सार है। आपने जो कहा तो यह सार है कि हम लोग तो ये चमन जो है, प्रजातंत्र का, जम्हूरियत का ये गुलशन जो है, जिसमें हम सभी फूल खिलते हैं कि-

“चमन को सींचने में, पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी।
यही इल्जाम है हमपर, बेवफाई का ॥
मगर चमन को रौंद डाला जिसने अपने पैरों से।
वही दावा करे हैं इस चमन के रहनुमाई का ॥”

(व्यवधान)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : जो दलीय नेता हैं। एक मिनट में आप अपनी बात को समाप्त कीजिए।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, मंत्री जी की बात से यह स्पष्ट हो गया कि अधिकारी लोग कोई जिम्मेवार नहीं हैं उनको क्लीनचिट देते हैं जो बातों में आई, यही बात है, लेकिन कुछ मंत्री हैं जो आपके ही अधिकारी पर इल्जाम लगाते हैं, अब हम तो कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन महोदय, मंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया। आसन से हम चाहेंगे कि इधर थोड़ा ध्यान दें ताकि मेरा भी कंसन्ट्रेट बना रहे...

अध्यक्ष : आप ही की तरफ ध्यान है। डिप्टी सी0एम0 हमारी तरफ ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं, आप ही की तरफ ध्यान है बोलिए।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, लेकिन 15 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि बिहार में कानून का राज नहीं है, बल्कि पुलिस का राज है । पटना हाईकोर्ट ने कहा कि ये गवर्नमेंट जो है माइंडलैस गवर्नमेंट है । अब यह हमने नहीं कहा महोदय...

अध्यक्ष : वही बात तो संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि हस्तक्षेप करने का अवसर क्यों दे रहे हैं ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, सुन तो लिया जाय, यानी जिस काले बिल के खिलाफ हम लोग थे, जो काला कानून आप लोगों ने बनाया, यानी उसको तो सुप्रीम कोर्ट खुद मानता है कि यहां कानून का राज नहीं, बल्कि पुलिस का राज है तो हमारा विरोध करना तो सच था...

अध्यक्ष : चलिए अब हो गया ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, हमारा विरोध करना तो सच था.....

टर्न-10/यानपति-अंजली/27.07.2021

अध्यक्ष: आप यह बताइए नेता प्रतिपक्ष कि विरोध तो अधिकार है लेकिन वह कृत्य निंदनीय है या नहीं ?

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय, सरकार को किस बात की हड़बड़ी थी कमिटी में भेज देती संशोधन कर के फिर मानसून सत्र में भी बिल आ जाता या एकाध दिन जो है बढ़ा दिया जाता महोदय ।

अध्यक्ष: अब आप बैठ जाइए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: एक मिनट अध्यक्ष महोदय, हमारे दूसरे प्रस्ताव पर हम तो इतना पॉजिटिव हो रहे हैं...

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण प्रस्ताव नहीं सुझाव दिए हैं । माननीय सदस्यगण, अब आप बैठ जाइए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव नेता विरोधी दल: एक मिनट महोदय, जातीय जनगणना पर हम तो कह रहे हैं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष: नहीं-नहीं वह विषय अभी नहीं, अभी समय माकूल नहीं है, पहले इस विषय पर आ जाइए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: महोदय, विषय सबके सामने आ गया है ।

अध्यक्ष: आप भी इस विषय पर कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल दीजिए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: महोदय, हम कह रहे हैं कि हाउस में सर्वसम्मति से पास किया है अगर वह काम नहीं हो रहा है तो प्रधानमंत्री जी से....

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब बैठ जाइए । सुन लीजिए । यहां दो घटनाएं हुई थीं एक बार सुन लीजिए न, सुन लीजिए यहां दो घटनाएं हुई थीं, एक में सदस्यों द्वारा अमर्यादित आचरण किया गया था, दूसरे सदस्यों के बीच सरकारी कर्मियों द्वारा अमर्यादित आचरण किया गया । पहले मामले में जांच आचार समिति कर रही है जो हम आसन से बोले थे, हमने जांच आचार समिति को दिया है आचार समिति की रिपोर्ट सदन पटल पर रखी जाएगी सब के सामने और दूसरे मामले में सरकार के द्वारा कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की समिति बना कर कार्रवाई की जा रही है । इसमें पहले चरण में प्रथम दृष्टया दो पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है शेष मामले की रिपोर्ट जल्द आएगी । हम बेहतर आचरण करें कि भविष्य में हमें किसी और कृत्य से लज्जित न होना पड़े यह सब को संकल्प लेना है, अब आगे की ध्यानाकर्षण सूचना ली जाएगी ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय, इंसाफ मिलना चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए ।

अध्यक्ष: न्याय होगा, न्याय होगा ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गए)

माननीय सदस्य श्री जनक सिंह अपनी सूचना को पढ़ें ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

सर्वश्री जनक सिंह, संजीव चौरसिया एवं अन्य दो सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री जनक सिंह: अध्यक्ष महोदय, “ सभी राज्यों के भर्ती आयोगों की मातृ संस्था संघ लोक सेवा आयोग है । संघ लोक सेवा आयोग अभ्यर्थियों की मेधा सूची के बीच असंतुलन न हो इसके लिए ऐच्छिक विषयों में Standard Evaluation Policy अपनाती है तथा Waiting List भी प्रकाशित करती है लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग अपने स्थापन काल से ही आज तक न तो Standard Evaluation Policy की व्यवस्था रखे हुए है और न ही Waiting List प्रकाशित करती है । फलस्वरूप चयन में असंतुलन होता है । दिनांक-10.07.2018 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग Standard Evaluation Policy बनाये जाने हेतु निर्देश भी दिया गया है । साथ ही,

यदि किसी एक-दो अभ्यर्थियों ने भी योगदान नहीं किया तो शेष बची नियुक्ति की रिक्ति के लिए फिर वही लंबी प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। इससे राज्य के बच्चों की मेधा को नुकसान पहुंचता है।

अतः बिहार लोक सेवा आयोग को ऐच्छिक विषयों में Standard Evaluation Policy स्थापित करने तथा Waiting List प्रकाशित करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।”

अध्यक्ष: माननीय प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: महोदय, समय चाहिए।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा जी आप अपनी ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ें।

सर्वश्री अजीत शर्मा, समीर कुमार महासेठ एवं अन्य दो सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) की ओर से वक्तव्य।

श्री अजीत शर्मा: महोदय “राज्य में आरक्षण की 7 श्रेणी है यथा SC/ST/BC/EBC/ पिछड़े वर्ग की महिला, महिला एवं EBC आरक्षण। इन 7 श्रेणियों में से 6 श्रेणियों को आयु सीमा में छूट, बैकलॉग एवं बिहार तक सीमित रखा जाता है लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों को न आयु सीमा में छूट दी जाती है, न बैकलॉग का लाभ दिया जाता है और न ही बिहार प्रदेश तक सीमित रखा जाता है। इस भेदभावपूर्ण नीति के कारण समाज में द्वेष फैल रहा है। इससे संविधान के अनुच्छेद 14-16 का भी पालन नहीं हो पा रहा है।

अतः आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के साथ हो रहे भेदभाव को दूर कर इन्हें भी उम्र सीमा में छूट देने, बैकलॉग का लाभ देने तथा इनके आरक्षण को राज्य तक सीमित करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।”

अध्यक्ष: माननीय प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: महोदय, समय चाहिए।

अध्यक्ष: अब सभा की कार्यवाही दो बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।

टर्न-11/सत्येन्द्र/27-07-2021

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है। अब विधायी कार्य लिये जायेंगे ।

श्री ललित कुमार यादव: अध्यक्ष महोदय, आप विधायी कार्य लीजिये लेकिन जो दिनांक 23/3/21 को घटना घटी, इससे विधायक का मान सम्मान नहीं बचेगा और इस तरह से महोदय सदन की कार्यवाही आप करते रहेंगे । हम मांग करते हैं कि सदन में इस पर आप बहस करवाईए और बहस कराते हैं तो हमलोग आपको सहयोग करने के लिए तैयार हैं..

अध्यक्ष: आप रूल के हिसाब से अपने विषय को रखिये।

विधायी कार्य

बिहार पंचायत राज(संशोधन)विधेयक, 2021

प्रभारी मंत्री, पंचायती राज विभाग ।

(व्यवधान)

श्री ललित कुमार यादव: महोदय, इस तरह से आप सदन को चलाईयेगा तो चलाईए..

(व्यवधान)

अध्यक्ष: माननीय सदस्य बैठ जायें। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य बैठ जायें सब लोग।

आपलोगों को, कल नेता प्रतिपक्ष बोले, आज हमने मौका दिया, पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ने अपने विषय को रख दिया, विषय आ गया लोगों के ध्यान में भी और लोगों ने सुन भी लिया । अब आपका नियमावली के हिसाब से जो अपना अलग अलग फोरम पर विषय रखने का है आप रखेंगे, सुनवाई होगी, देखेंगे उसको अगर नियम के अनुसार रहेगा तो, अब आगे का जो कार्य है उसको होने दीजिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री,पंचायती राज विभाग।

श्री आलोक कुमार मेहता: महोदय, इसी सदन में माननीय विधायकों को मारा गया। आन्दोलन में 10 लाठी खाकर, गोली खाकर मर जाना उसमें इज्जत और प्रतिष्ठा की बात होती है लेकिन ये सदन जो एक प्रजातांत्रित व्यवस्था के तहत बना हुआ है उसमें किसी को अन्दर आने की इजाजत ऐसे जगह में नहीं है..

श्री सम्राट चौधरी,मंत्री: अध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

“बिहार पंचायत राज(संशोधन)विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।”

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

(व्यवधान)

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

“बिहार पंचायत राज(संशोधन)विधेयक,2021 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री।

श्री सम्राट चौधरी,मंत्री: मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष: यह पुर:स्थापित हुआ ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री सम्राट चौधरी: मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

“ बिहार पंचायत राज(संशोधन)विधेयक,2021 पर विचार हो।”

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री ललित कुमार यादव जी द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है। क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?
नहीं करेंगे ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“ बिहार पंचायत राज(संशोधन) विधेयक, 2021 दिनांक 31 अगस्त, 2021 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।”

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्ष: इसमें माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव एवं श्री महबूब आलम द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है। क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?
नहीं करेंगे ।

विधेयक के मूल पाठ में संशोधन

अध्यक्ष: अब मैं खंडशः लेता हूँ। खंड-2 में दो संशोधन हैं। क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(मूव नहीं हुआ)

क्या माननीय सदस्य, श्री अजय कुमार सिंह अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(मूव नहीं हुआ)

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

“ खंड-2 इस विधेयक का अंग बने ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष: खंड-3 में दो संशोधन हैं ।

क्या माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

नहीं करेंगे ।

क्या माननीय सदस्य, श्री अजय कुमार सिंह अपना संशोधन मूव करेंगे ?

नहीं करेंगे ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

“ खंड-3 इस विधेयक का अंग बने ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-3 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष: खंड-4 में दो संशोधन हैं। क्या माननीय सदस्य, श्री मुकेश कुमार रौशन अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं करेंगे।

(व्यवधान जारी)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से वाकआउट कर गये)

अध्यक्ष: क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ?

नहीं करेंगे।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

“ खंड-4 इस विधेयक का अंग बने ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-4 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष: खंड-5 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह अपना संशोधन मूव करेंगे ?

नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

“ खंड-5 इस विधेयक का अंग बने ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-5 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष: खंड-6 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

“ खंड-6 इस विधेयक का अंग बने ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-6 इस विधेयक का अंग बना ।

टर्न-12/मधुप/27.07.2021

अध्यक्ष : खंड-7 में दो संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ? नहीं हैं ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह अपना संशोधन मूव करेंगे ? नहीं हैं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“खंड-7 इस विधेयक का अंग बने ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-7 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-8 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“खंड-8 इस विधेयक का अंग बने ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-8 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“नाम इस विधेयक का अंग बने ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री सम्राट चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

“बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2021 स्वीकृत हो ।”

अध्यक्ष महोदय, पंचायत राज ऐक्ट 2006 में जब बनाया गया था तो धारा-14 में प्रावधान के हिसाब से प्रत्येक ग्राम पंचायत अपनी प्रथम बैठक की तिथि से अगले 5 वर्ष तक की ही व्यवस्था कर सकता था, 5 वर्ष तक ही उसका कार्यकाल हो सकता है । क्योंकि 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा संविधान में भाग-9 में जोड़ा गया, इसके अनुच्छेद-243(इ) में स्पष्ट है कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचित जो होंगे, उनका कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष ही हो सकता है । इसी के लिए सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया चूंकि कोरोना की स्थिति अचानक बढ़ गयी मार्च और अप्रैल के माह में तो ऐसी परिस्थिति में हमलोगों को यह बड़ा निर्णय लेना पड़ा । वैसे तो लगातार विरोधी पक्ष के लोग ही कहते थे कि इनका कार्यकाल बढ़ाया जाय । वैसे इनलोगों को संविधान की जानकारी नहीं थी कि संविधान में कोई जगह नहीं है । संविधान अधिकतम 5 वर्ष तक के लिए ही त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था कर सकता है उससे अधिक नहीं कर सकता है । तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमलोगों की पूरी कैबिनेट, पूरी सरकार ने यह तय किया क्योंकि विधान सभा ऐक्ट में

नहीं था, बैठकें नहीं हो रही थीं तो सरकार को मजबूरन उस समय अध्यादेश लाकर इसको कानून की शक्ल में हमको एक व्यवस्था खड़ी करनी पड़ी जिसके माध्यम से हमलोगों ने पूरी तरह जो पंचायती राज की व्यवस्था है उसको एक रूप देने का काम किया गया कि जो भंग की तारीख को, 15 जून की तारीख को हमलोगों ने बेंचमार्क इसका तय किया और उस दिन जो लोग मुखिया थे उनको परामर्शी समिति का अध्यक्ष हमलोगों ने ग्राम पंचायत में माना, जो वार्ड सदस्य थे उनको हमलोगों ने परामर्शी समिति के सदस्य के तौर पर माना। उसी तरह ग्राम कचहरी में यह व्यवस्था की गई कि जो ग्राम कचहरी में हमारे सरपंच थे उनको हमलोगों ने अध्यक्ष माना, उप सरपंच को उपाध्यक्ष माना और जो पंच थे उनको हमलोगों ने सदस्य मानने का काम किया। उसी स्तर पर जो पंचायत में पंचायत समिति था उसमें प्रखंड प्रमुख होते थे वहाँ पर हमलोगों ने पंचायत समिति का अध्यक्ष घोषित किया जो तत्कालीन प्रमुख थे और जो पंचायत समिति के सदस्य थे वे तमाम लोग सदस्य हो गये। सांसद और विधायक ये भी उनके सदस्य के तौर पर नामित किये गये। उसी तरह पंचायती राज जिला परिषद में भी एक व्यवस्था किया गया कि हम जिला परिषद अध्यक्ष को परामर्शी समिति के जिला परिषद का अध्यक्ष घोषित किये और जो सदस्य थे उनको सदस्य के तौर पर और माननीय सांसद एवं माननीय विधायक उसके सदस्य बने रहे। यह खंड-1 है जिसमें हमलोगों ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेकर इसमें एक सुधार करने का काम किया जो एक ऐतिहासिक फैसला है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक फैसला बिहार में लिया कि हम 5 वर्ष पूरा होने के बाद भी कोई वहाँ प्रशासनिक व्यवस्था की दिक्कत नहीं हो और लोकतंत्र नीचे स्तर तक बहाल हो क्योंकि देश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी जिस तरह पंचायती राज व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं, बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस पूरी व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं। इन्होंने ही बिहार के पंचायतों में भी सरकार बनी रहे चूँकि चुनाव नहीं हो पाये थे क्योंकि कोरोना की भयावह स्थिति हो गई थी बीच के दिनों में, अब धीरे-धीरे सुधार हो रहा है जो राज्य निर्वाचन आयोग इसमें तय करेगा कि चुनाव की स्थिति कब बनाई जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह दूसरा एक प्रस्ताव है जिसको हमलोगों ने संशोधित किया है क्योंकि 2008 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में पंचायती राज एक विभाग बनाया। इसके पहले इस तरह की व्यवस्था बिहार में नहीं थी और बाद के दिनों में भारत सरकार ने भी इसमें निर्णय लेकर देश में भी पंचायती राज की व्यवस्था बनाने का काम किया। तो धीरे-धीरे संरचना खड़ा करने का काम किया जा रहा है।

हमलोगों के पास पंचायत सेवक की भारी कमी होने के बावजूद टेक्निकल सहायक और कार्यपालक सहायक की नियुक्ति की गई जो नीचे स्तर पर हमारे पंचायतों को असिस्ट करने का काम कर रहे हैं। ब्लॉक में प्रखंड विकास पदाधिकारी के अधीन हमारा पूरा संस्था का काम रहता था तो वे बहुत बोझ महसूस करते थे। ऐसी परिस्थिति में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमलोगों ने निर्णय लिया है कि प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी की नियुक्ति क्योंकि ये भी बी0पी0एस0सी0 के माध्यम से आते हैं और सभी उसी कोटि से भी काम करने का काम कर रहे हैं। इसलिये अब हमलोग पंचायत समिति में एक व्यवस्था रखेंगे जिसमें प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी पूरी तरह प्रखंड की चीजों की व्यवस्था को देखने का काम करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, तीसरा जो एक और महत्वपूर्ण फैसला है इसमें कि जिला परिषद की बहुत सी सम्पत्ति है बिहार के सभी जिलों में और उसका पूरा रख-रखाव हम नहीं कर पा रहे थे। उप विकास आयुक्त के पास जिला में बहुत से कार्य हैं, जिलाधिकारी के सहयोगी के तौर पर जिला में काम करने का काम कर रहे हैं और लगातार सरकार उनको एक तरह से अनुश्रवण करने का काम अधिक दे रही है तो ऐसी परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हमलोगों ने यह निर्णय लिया है कि हम अब उप विकास आयुक्त की जगह पर जिला परिषद में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में एक नियुक्त किया जायेगा तो एक्सक्लुसिवली पूरी तरह सिर्फ और सिर्फ जिला परिषद का काम देखने का काम करेंगे।

इसलिये यही तीन महत्वपूर्ण फैसला बिहार सरकार ने, हमलोगों ने फैसला लिया था कि एक परामर्शी समिति का गठन, दूसरा पंचायत समिति में प्रखंड विकास पदाधिकारी की जगह पर ब्लॉक पंचायती राज अफसर को एक मुख्य कार्यपालक के रूप में काम करने का और तीसरा जिला परिषद में जो उप विकास आयुक्त या अन्य पदाधिकारी को इसका भार दिया जाता था, अब एक तरह से एकदम फिक्स करके मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति पंचायती राज और सामान्य प्रशासन विभाग के सहयोग से किया जायेगा। यही मूल चीजें थीं।

अध्यक्ष जी, हम आपके माध्यम से आग्रह करेंगे कि बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2021 को स्वीकृति देने की कृपा करेंगे।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2021 स्वीकृत हो।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2021 स्वीकृत हुआ।

टर्न-13/आजाद/27.07.2021

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जहां विपक्ष नारा लगाता है कि नीतीश कुमार जी जनप्रतिनिधियों को अपमानित करते हैं। संविधान में या कंस्टीच्यूशन में प्रोविजन नहीं रहने के बाद भी जो एलेक्ट्रेड रिप्रजेंटेटिव थे, उसको दूसरे तरीके से अगले चुनाव तक जो सम्मान देने का काम किया बिहार के मुख्यमंत्री जी ने, यह ऐतिहासिक निर्णय है और विपक्ष के लोग मांग करते थे कि कार्यकाल बढ़ाएँ, दुर्भाग्य यह है कि उसमें कांग्रेस के लोग भी थे। संविधान में कब संशोधन हुआ तो संविधान का ज्ञान भी विपक्ष को नहीं है तो सदन की मर्यादा का क्या ख्याल रखेंगे, यह खेदजनक विषय है। यही मैं जिक्र करना चाहता था और इसको रेकोर्ड में लाना चाहता था। आपको बहुत, बहुत धन्यवाद।

“आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021”

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

“आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।”

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।”

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गई।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : मैं इसे पुरःस्थापित करता हूँ।

अध्यक्ष : यह पुरःस्थापित हुआ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

“आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार हो।”

संयुक्त प्रवर समिति

अध्यक्ष : इसमें माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव, श्री महबूब आलम एवं श्री अजय कुमार सिंह द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है।

क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव, अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? नहीं हैं।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार हो।”

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष : अब मैं खंडशः लेता हूँ।

खंड-2, 3 एवं 4 में कोई संशोधन नहीं है।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“खंड-2, 3 एवं 4 इस विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ,

खंड-2, 3 एवं 4 इस विधेयक का अंग बने।

खंड-5 में एक संशोधन है।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा, अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं हैं।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“खंड-5 इस विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ,

खंड-5 इस विधेयक का अंग बना।

खंड-6 एवं 7 में कोई संशोधन नहीं है।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“खंड-6 एवं 7 इस विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ,

खंड-6 एवं 7 इस विधेयक का अंग बने।

खंड-8 में एक संशोधन है।

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ, अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं हैं।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“खंड-8 इस विधेयक का अंग बने । ”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ,

खंड-8 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-9 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“खंड-9 इस विधेयक का अंग बने । ”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ,

खंड-9 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“खंड-1 इस विधेयक का अंग बने । ”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ,

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने । ”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ,

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“नाम इस विधेयक का अंग बने । ”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ,

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

प्रभारी मंत्री ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

“आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 स्वीकृत हो।”

महोदय, मैं यह प्रस्ताव इसलिए करता हूँ कि 2008 में हमलोगों ने आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक पारित किया था और इस अधिनियम के तहत आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी । महोदय, आपको भी स्मरण होगा और हम समझते हैं कि सारा सदन इस बात से वाकिफ है कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना हमारे मुख्यमंत्री

श्री नीतीश कुमार जी की एक विशेष सोच और एक विशेष समझ के तहत की गई थी क्योंकि सामान्य रूप से जो नियमित विश्वविद्यालय होते हैं उसमें सामान्य पाठ्यक्रम या आम विषय जो सामान्य रूप से होते हैं, चाहे वह कला संकाय का हो, चाहे विज्ञान संकाय का हो, चाहे वाणिज्य संकाय का हो, अलग-अलग विषयों में अलग-अलग पाठ्यक्रम के हिसाब से विश्वविद्यालयों में पढ़ाई होती है । लेकिन महोदय, इस विश्वविद्यालय के नाम पर ही अगर गौर करेंगे तो इस विश्वविद्यालय की विशिष्टता स्पष्ट रूप से जाहिर होती है क्योंकि सभी विश्वविद्यालय जैसे कोई बिहार विश्वविद्यालय है, कोई पटना विश्वविद्यालय है, लेकिन यह आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय है । इसके दो भाग जो हैं, एक आर्यभट्ट और दूसरा ज्ञान ये दोनों विश्वविद्यालयों की महत्ता को परिलक्षित करते हैं और इसी से इसका महत्व जाहिर होता है कि आर्यभट्ट को दुनिया में महोदय कौन नहीं जानता है कि वो हमलोगों के इस धरती के लाल ही नहीं थे, दुनिया को पूरा खगोलशास्त्र जिसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, उसमें वे पूरे दुनिया को रौशनी दिखाने वाले थे और ये उस वक्त की बात है, जिस समय विज्ञान का यह स्वरूप नहीं था, विज्ञान इस शकल में नहीं था तब यहां के आर्यभट्ट महोदय ने जो दुनिया को खगोलशास्त्र और एस्ट्रोनॉमी में जो पाठ्य पढ़ाया या जो जानकारियां दी, मैथमेटिक्स में, अंकगणित में भी उन्होंने बहुत सारी जानकारियां ऐसी-ऐसी दी, जिसने इन विधाओं में पूरे आने वाले समय और संतति के लिए एक रास्ता ही बना दिया और उसपर आज तक लोग चलते रहे हैं । अन्य जो विश्वविद्यालय हैं, जहां नियमित पाठ्यक्रम चलते हैं, उससे अलग इसका ज्ञान विश्वविद्यालय जो नाम दिया गया है महोदय, इसका भी एक विशेष कारण है क्योंकि यहां पर आमतौर पर जो विश्वविद्यालयों में पढ़ाई होती है, यहां उससे हटकर के पढ़ाई कराने की, शोध कराने की या स्नातकोत्तर डिग्रियां हासिल करने का स्थान इसको बनाया जाना है महोदय और इसलिए जब आप इसमें जिन-जिन विषयों या जिन-जिन क्षेत्रों में या जिन-जिन विधाओं में यहां पर पढ़ाई का काम शुरू किया गया है उसको ही अगर आप देखेंगे तो महोदय स्पष्ट हो जायेगा । यहां शुरू में ही जब 2008 में इसका गठन किया गया था, उसी वक्त यह जाहिर कर दिया गया था कि हम इसमें जो नॉन्-कन्वेंशनल विषय है, जो परम्परागत रूप से जिन विषयों की अलग पढ़ाई नहीं होती है, नॉन्-कन्वेंशनल विषयों के न्यू फ्रंटियर्स पर क्रमशः

टर्न-14/ज्योति/27-07-2021

...क्रमशः...

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : मतलब जहाँ तक आज तक वो विषय या वो विधा पहुंची है हम वहाँ तक की पढ़ाई या उसके अनुरूप पढ़ाई करना चाहते हैं । मतलब स्पष्ट है महोदय, कि ये बड़ी ऊंची सोच है और इसके माध्यम से, बिहार में जो शुरु से ज्ञान की धरती और शिक्षा की धरती और अध्यात्म की धरती रही है, उसके खोये गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए बिहार को ज्ञान प्रदाता के रूप में एक नयी ऊंचाई पर पहुंचाने का यह हमारे माननीय मुख्यमंत्री का संकल्प है और उसी के तहत इस विश्वविद्यालय की अवधारण की गयी थी । उसके तहत इसमें काम भी शुरु हुआ है और जो मैं कह रहा था कि इसमें अभी हमलोगों ने अभी 12 विषयों का चयन किया है या 12 जिन चीजों की पढ़ाई प्रारम्भ करने जा रहे हैं हमलोग, उसमें से तीन चार विषयों में पढ़ाई शुरु भी हो गयी है महोदय, हमको सदन को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सब लोगों को जानकर यह खुशी होगी कि आप जब विषय सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आपको भी नहीं मालूम होगा कि इन विषयों में स्नातकोत्तर या शोध के क्षेत्रों में कहाँ कहाँ काम चल रहा है । इसमें जहाँ हमारा काम आगे बढ़ चुका है, वह सबसे पहला है नैनो टेक्नोलॉजी का, अब नैनो टेक्नोलॉजी का यहाँ पर शोध से लेकर उच्चतर स्तर तक की पढ़ाई और उसमें शोध कार्य किए जायेंगे यह समझा जा सकता है महोदय, आज जो विज्ञान की नयी ऊंचाईयाँ हैं उसमें जो उच्चतम बिन्दु है यह वहाँ का विषय है और उस विषय से हमलोगों ने प्रारम्भ किया है कि नैनो टेक्नोलॉजी में और आप सब जानते हैं आप जितना चाहे कई क्षेत्रों में चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे मेडीसिन का क्षेत्र हो चाहे ऊर्जा का क्षेत्र हो जो नॉन कौन्वेन्शनल एनर्जी का क्षेत्र है खास तौर से सोलर एनर्जी के जो सेल्स बनते हैं उनकी बात है या जो इसका मेडीसीनल वैल्यू जो है नैनो टेक्नोलॉजी का जो असाध्य बीमारियाँ हैं, कैंसर तक के बीमारी का इलाज जो ट्यूमर्स होते हैं उसके लिए जो नैनो ट्युब्स जो बनते हैं उसका इलाज निकलने वाला है तो यह हमारा सदन और बिहार के लोग समझ सकते हैं कि किस ऊंचाई, किस स्तर तक की पढ़ाई आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में हमलोग करने जा रहे हैं और इसका तो प्रारम्भ भी हो गया है । इसी तरीके से जिन महापुरुष के नाम पर इसका नामकरण है, आर्यभट्ट जी का जो उनकी विशेषज्ञता थी, खगोल शास्त्र में, एस्ट्रोनॉमी में सब लोग जानते हैं कि उसमें पूरे ग्रह नक्षत्र का अध्ययन होता है और इसका अध्ययन कोई कभी किसी समय में अप्रासंगिक नहीं हुआ

है ऐसा नहीं है कि पहले होता था । आज भी ग्रह, नक्षत्र के मूवमेंट से उनकी गति से, उनके चक्र से आदमी का जीवन भी प्रभावित होता है यह सब जगह स्थापित है और सब लोग मानते हैं और इसलिए महोदय, इसके लिए तो हमलोग अलग से विशेष रूप से इसकी पढ़ाई शुरू कराने जा रहे हैं । तीसरा चौथा विषय सब है भूगोल है महोदय, फिर जलवायु परिवर्तन है फिर उसी तरीके से रीवर्स स्टडीज है नदियों का अध्ययन है । इन तीनों चीजों के बारे में अध्यक्ष महोदय, समझ सकते हैं कि बिहार के लिए कितना महत्वपूर्ण है । आपको याद होगा आप भी थे इस सदन के सदस्य, हमलोगों ने मुख्यमंत्री जी की सलाह पर यहाँ पर जलवायु परिवर्तन पर पूरे दिन का एक मैरेथन सेशन किया था, गहन मंथन का कार्यक्रम किया था और उसमें जो विचार आए, डेढ़ सौ से अधिक माननीय सदस्यों ने विचार रखे थे और सब को मिला कर, बिहार सरकार के सारे वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे और जो सदस्यों की राय आयी, उसके आधार पर जो उस मंथन से अमृत निकला, उसी के आधार पर जल जीवन हरियाली कार्यक्रम आज चल रहा है जिससे बिहार में जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए यहाँ के लोग या यहाँ के वातावरण में उस सक्षमता का निर्माण हो रहा है जिसकी अत्यंत आवश्यकता महसूस की जा रही थी और नदियों का अध्ययन महोदय, यहाँ बिहार प्राकृतिक संसाधनों के मामले में उतना हम भाग्यशाली नहीं है । हमारे यहाँ न कोई बहुत बड़ा समुद्री किनारा है, न कोस्टल एरिया है, न मैरीनटाईम रिसोर्सेज जो कहते हैं बहुत से प्रदेशों को सैकड़ों हजारों किलोमीटर का कोस्टल लाईन मिला हुआ है उनको समुद्र से अकूत संसाधन प्राप्त होते हैं । हमलोग उतने भाग्यशाली नहीं है । पानी हमारा संसाधन है और उसका अध्ययन करके क्योंकि इसका सही प्रबंधन नहीं होने के कारण हम पानी से तबाह भी होते हैं । अभी सीजन चल रहा है, बिहार के कितने इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं और इस बात तो विशेष स्थिति है कि वर्षा के कारण अतिवृष्टि जैसी स्थिति बन रही है जिसके कारण चारों तरफ जल मग्नता है, जिसके कारण लोग परेशान है तो हमलोग इसके नदियों के प्रवृत्ति और प्रकृति के बारे में भी विस्तार से अध्ययन का केन्द्र अपने इस आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय को बनाना चाहते हैं और इसको स्थापित करना चाहते हैं । इसी तरीके से और भी है कला संस्कृति के क्षेत्र में भी है, पुरातत्व संरक्षणीय जो अध्ययन होता है क्यूरेटोरियल स्टडीज कहते हैं उसके लिए यहाँ भी सेंटर स्थापित किया जा रहा है । महोदय, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी की बात है, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी तो आज के विज्ञान की वह दिशा है जिससे इतना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आने जा रहा है कि बीमारियों

के इलाज के लिए अब जो मौलिक बचपन में जैसा सेल आपके अंदर होता है उस तरह के सेल के निर्माण की प्रक्रिया इसके तहत अपनायी जा रही है। उस पर यहाँ पर अध्ययन होगा, इसलिए एक बहुत ही विशिष्ट संस्था और विश्वविद्यालय के रूप में इसकी परिकल्पना की गयी है और उस आधार पर यह आगे बढ़ रहा है और इसमें जो 2008 के विधेयक थे जिसका अधिनियमीकरण हमलोगों ने इसी सदन में किया था, उसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता पड़ गयी है। एक तो कुछ विषय इसमें जोड़े जाने थे, उसके आधार पर हमलोगों ने प्रस्तावना में संशोधन किया है और सबसे बड़ी बात थी, अभी इस विधेयक के बाद ही आप मेडिकल कॉलेजेज के लिए स्वास्थ्य विज्ञान जो विश्वविद्यालय की स्थापना का विधेयक लेने वाले हैं, उसका गठन हो रहा है। फिर टेक्नीकल यूनिवर्सिटीज बन रहा है इंजीनियरिंग कॉलेजेज के लिए, पहले इसी विश्वविद्यालय से मेडिकल कॉलेजेज और इंजीनियरिंग कॉलेजेज का एफीलिएशन होता था हालांकि वह टेम्पररी व्यवस्था थी, उस समय के लिए तात्कालिक व्यवस्था थी इसका मूल उद्देश्य तो यही था कि हमलोगो ने जिन 12 विषयों और विधाओं को इसमें डाला है तो इनको अलग करने के लिए हमें इसमें इनेब्लिंग क्लौज डालना था चूंकि पहले से ये आच्छादित होते थे। अब इनको बाहर करके अलग अलग यूनिवर्सिटीज बन रहे हैं उनके क्षेत्राधिकार में डालेंगे। जैसे वायस चांसलर की नियुक्ति है, कुलपति की नियुक्ति के बारे में हमलोगों ने संशोधन किया है। एक तो यू.जी.सी. की गार्डलार्इन है उसके आधार पर करेंगे और दूसरा यह भी सरकार की कोशिश है कि जो ये नयी विधाएं या न्यू फ्रंटियर्स औफ नॉलेज है इन क्षेत्रों से संबंधित लोग ही अगर इसके कुलपति के रूप में आते हैं तो इस विश्वविद्यालय के फलने फूलने में वह ज्यादा सहायक होगा। इसलिए हमलोग यह संशोधन ला रहे हैं, इसी तरीके से जो वायस चांसलर को और उनकी नियुक्ति से संबंधित मामला है उसमें हमलोगों ने संशोधन लाया है। उसके बाद एक जो वहाँ की सभा यानी कोर्ट की बैठक- में समाप्त कर रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, और उसी तरीके से 28 में भी संशोधन है, 31 में भी संशोधन है और इन संशोधनों का मकसद और मतलब सिर्फ इतना ही है कि जिस उद्देश्य और मकसद के लिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, उस मकसद को हम कारगर ढंग से कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसी के लिए इस विधेयक में और अधिनियम में संशोधन का हमलोगों ने प्रावधान या प्रस्ताव किया है।

क्रमशः

टर्न-15/पुलकित-अभिनीत/27.07.2021

क्रमशः

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : जो इस विधेयक के माध्यम से और आपकी स्वीकृति से सदन के सामने अनुमोदन के लिए और स्वीकृति के लिए हमने प्रस्तुत किया है । मुझे पूरी उम्मीद है कि बिहार को ज्ञान के क्षेत्र में उस ऊँचाई तक पहुंचाने के लिए जिसके लिए यह कभी विख्यात था और गौरवान्वित था उसके लिए इस विधेयक की स्वीकृति सदन निश्चित देगा । इसी विश्वास के साथ हम अपील भी करते हैं कि सदन के सारे सदस्य मिलकर इसकी स्वीकृति में अपनी सहमति प्रदान करने का कष्ट करेंगे । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री जी, खगोलीय गणना के लिए जो आपने विस्तार से बताया तो क्या वैदिक गणित की पढ़ाई भी इस विश्वविद्यालय के अंदर होगी ?

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, आगे आपके जो सुझाव आते रहेंगे हमलोग उस पर विचार करेंगे ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : महोदय, जैसा मंत्री जी ने बताया है इसका नाम जो यूनिवर्सिटी का होगा कोई संक्षेप नहीं करेगा, आर्यभट्ट नाम बोलना पड़ेगा । जब से हमने यूनिवर्सिटी बनायी है, लोग ए0के0यू0 कह देते हैं, ए0के0यू0 आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, इसलिए हमने शुरू से कहा है कि भाई ऐसा क्यों करते हो ? आखिर इस विश्वविद्यालय को बनाया और एक बात हम बता देते हैं कि उन दिनों देश भर में चला था कि एक नॉलेज यूनिवर्सिटी बने, ज्ञान विश्वविद्यालय बने और हम ही लोगों ने सोचा कि हम लोग बिहार में भी बनायेंगे और उसी समय आर्यभट्ट का नामकरण हमने किया । आर्यभट्ट के बारे में आपको पता है, शून्य का आविष्कार किन्होंने किया दुनिया में, वह आर्यभट्ट ने किया । यह जो पूरी की पूरी पृथ्वी है, इसका पूरा का पूरा रूप, एक-एक चीज को जिन्होंने रिसर्च करके एक-एक चीज बनायी और यहीं पर बनायी, इसलिए हमने कहा कि नॉलेज यूनिवर्सिटी, ज्ञान का तो जो आर्यभट्ट का ज्ञान है वह किसी दूसरे का है ही नहीं उतना ज्यादा, इसलिए नामकरण किया । अब यही कहेंगे कि जो भी यूनिवर्सिटी में होगा वह आर्यभट्ट शब्द जरूर रखेगा । आजकल तो आदत हो गयी है, नई टेक्नोलॉजी आ गयी है, हर चीज को संक्षिप्त करने लगी है । भाई, और चीज को करो तो करो लेकिन आर्यभट्ट को संक्षिप्त में करोगे तो नई पीढ़ी जानेगी कि आर्यभट्ट क्या थे ? इसलिए जानना जरूरी है । अगर ज्ञान की बात कर रहे हैं और आर्यभट्ट का नाम ले रहे हैं तो सबको मालूम होना चाहिये कि आर्यभट्ट ने क्या किया है तो उससे आगे आने वाले ज्ञान को बढ़ाने में

भी सहूलियत होगी, इसलिए हमने एक बात इन लोगों को सुझाव दिया है, ये बोले नहीं हैं कि इसके नामकरण में कोई संक्षेप नहीं करेगा, शॉर्ट नहीं करेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यह सही कहा है और इन्होंने इस बात को हम लोगों को भी बताया था और इनके बताने से पहले विभाग में भी जब रेफर किया जाता था तो ए०के०यू० कहा जाता था, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, ए०के०यू०, ए०के०यू०, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जब से इच्छा प्रकट की है हम लोगों ने विभाग में भी इनकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए ऐसी व्यवस्था हमने कर दिया कि विभाग में भी अब कोई ए०के०यू० नहीं बोलता है, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय बोलता है।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 स्वीकृत हो।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 स्वीकृत हुआ।

खगोलीय गणना के साथ-साथ वैदिक गणित का महत्व बढ़ जायेगा।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, वैसे मूल रूप से आप जो कह रहे हैं वह खगोल शास्त्र और उसके अधीन आने वाली गणना में सम्मिलित है।

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2021

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, स्वास्थ्य विभाग।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

“बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।”

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गई।

प्रभारी मंत्री।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इसे पुरःस्थापित करता हूँ।

अध्यक्ष : यह पुरःस्थापित हुआ ।
प्रभारी मंत्री ।

विचार का प्रस्ताव

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि
“बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 पर विचार हो ।”

विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122 (1) के तहत माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ, श्री अजीत शर्मा एवं श्री अजय कुमार सिंह का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । अतएव सिद्धांत और विमर्श होने के पश्चात विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा ।

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?
(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : इसमें माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव, श्री अजीत शर्मा एवं श्री अजय कुमार सिंह द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?
(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : इसमें माननीय सदस्य श्री महबूब आलम द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री महबूब आलम अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?
(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 पर विचार हो ।”
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक के मूल पाठ में संशोधन

अध्यक्ष : अब मैं खण्डशः लेता हूँ ।

खण्ड-2 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“खण्ड-2 इस विधेयक का अंग बने ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

खण्ड-3 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“ खण्ड-3 इस विधेयक का अंग बने ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-3 इस विधेयक का अंग बना ।

खण्ड-4 में पांच संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री पंकज कुमार मिश्र अपना संशोधन मूव करेंगे ।

श्री पंकज कुमार मिश्र : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

“विधेयक के खंड-4 के उपखंड (3) के अंत में एक नया परन्तुक निम्न प्रकार जोड़ा जाय :-

“परन्तु यह कि उक्त प्रावधान डीमड विश्वविद्यालय पर लागू नहीं होगा ।”

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया है क्योंकि डीमड विश्वविद्यालय के लिए अलग से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की गाईड लाइन है और सदन से उसे पारित कराकर किया जाता है इसलिए यह संशोधन नहीं किया जायेगा तो वह विधेयक उस पर लागू हो जायेगा, जो उचित नहीं होगा । इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि इस संशोधन को स्वीकार करे और इसे संशोधित रूप से सदन में आज पारित किया जाय ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य ने जो संशोधन दिया है मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य का संशोधन बहुत सही है क्योंकि जो मूल प्रस्ताव था उस प्रस्ताव में डीमड विश्वविद्यालय को इससे अलग रखा जाय यह शब्द नहीं लिखा था और डीमड विश्वविद्यालय की पूरी व्यवस्था सरकार से अलग है । इसलिए उसको अलग रखना उचित

होगा । इसलिए माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव दिया है उसे संशोधित किया जाय । महोदय, वह स्वीकार्य है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“विधेयक के खंड-4 के उपखंड (3) के अंत में एक नया परन्तुक निम्न प्रकार जोड़ा जाय :-

“परन्तु यह कि उक्त प्रावधान डीम्ड विश्वविद्यालय पर लागू नहीं होगा ।”

यह संशोधन स्वीकृत हुआ ।

क्या माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

टर्न-16/हेमन्त-धिरेन्द्र/27.07.2021

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

“विधेयक के खंड-4 के उपखंड (5) के द्वितीय पंक्ति के शब्द समूह “करने हेतु स्वयं स्वतंत्र होगी” के स्थान पर शब्द समूह “कर सकेंगे” प्रतिस्थापित किया जाय।”

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो भावना है, मैं समझता हूँ कि जो विधेयक में लिखा है कि संबद्धता प्राप्त “करने हेतु स्वयं स्वतंत्र होगी” की जगह पर माननीय सदस्य ने “कर सकेंगे” का संशोधन दिया है । यह शब्द ज्यादा उचित है इसलिए इसे स्वीकृत किया जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“विधेयक के खंड-4 के उपखंड (5) के द्वितीय पंक्ति के शब्द समूह “करने हेतु स्वयं स्वतंत्र होगी” के स्थान पर शब्द समूह “कर सकेंगे” प्रतिस्थापित किया जाय।”

संशोधन स्वीकृत हुआ ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्या माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

“विधेयक के खंड-4 के उपखंड (6) को विलोपित किया जाय ।”

इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, इसलिए इसको विलोपित किया जाय।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“विधेयक के खंड-4 के उपखंड (6) को विलोपित किया जाय ।”

संशोधन स्वीकृत हुआ ।

माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा एवं श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा एक ही तरह का संशोधन दिया गया है । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“खंड-4 इस विधेयक का अंग बने”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-4 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-5 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“खंड-5 इस विधेयक का अंग बने”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-5 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-6 में पाँच संशोधन हैं । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“खंड-6 इस विधेयक का अंग बने”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-6 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-7 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“खंड-7 इस विधेयक का अंग बने”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-7 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-8 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“खंड-8 इस विधेयक का अंग बने”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-8 इस विधेयक का अंग बना ।

खण्ड-9 में दो संशोधन है । माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा एवं श्री ललित कुमार यादव द्वारा एक ही तरह का संशोधन दिया गया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“खण्ड-9 इस विधेयक का अंग बने”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-9 इस विधेयक का अंग बना ।

खण्ड-10 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“खण्ड-10 इस विधेयक का अंग बने”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-10 इस विधेयक का अंग बना ।

खण्ड-11 में तीन संशोधन हैं । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“खण्ड-11 इस विधेयक का अंग बने”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-11 इस विधेयक का अंग बना ।

खण्ड-12 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“खण्ड-12 इस विधेयक का अंग बने”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-12 इस विधेयक का अंग बना ।

खण्ड-13,14,15,16,17,18 एवं 19 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“खण्ड-13,14,15,16,17,18 एवं 19 इस विधेयक का अंग बने”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-13,14,15,16,17,18 एवं 19 इस विधेयक का अंग बना ।

खण्ड-20 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“खण्ड-20 इस विधेयक का अंग बने”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-20 इस विधेयक का अंग बना ।

खण्ड-21 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“खण्ड-21 इस विधेयक का अंग बने”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-21 इस विधेयक का अंग बना ।

खण्ड-22 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“खण्ड-22 इस विधेयक का अंग बने”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-22 इस विधेयक का अंग बना ।

खण्ड-23 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“खण्ड-23 इस विधेयक का अंग बने”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-23 इस विधेयक का अंग बना ।

खण्ड-24 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“खण्ड-24 इस विधेयक का अंग बने”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-24 इस विधेयक का अंग बना ।

टर्न-17/संगीता-सुरज/27.07.2021

अध्यक्ष : खण्ड-25 में दो संशोधन हैं ।

क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“खण्ड-25 इस विधेयक का अंग बने ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-25 इस विधेयक का अंग बना ।

खण्ड-26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 एवं 35 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“खण्ड-26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 एवं 35 इस विधेयक का अंग बने ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 एवं 35 इस विधेयक का अंग बना ।

खण्ड-36 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“खण्ड-36 इस विधेयक का अंग बने ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-36 इस विधेयक का अंग बना ।

खण्ड-37 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“खण्ड-37 इस विधेयक का अंग बने ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-37 इस विधेयक का अंग बना ।

खण्ड-38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 एवं 46 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“खण्ड-38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 एवं 46 इस विधेयक का अंग बने ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 एवं 46 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“खण्ड-1 इस विधेयक का अंग बने ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“नाम इस विधेयक का अंग बने ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

“ बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 स्वीकृत हो ।”

अध्यक्ष महोदय, राज्य में स्वास्थ्य विज्ञान तथा तकनीकी के क्षेत्र में तेजी से हो रहे परिवर्तन और उच्च कोटि की स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को दृष्टिगत रखते हुए स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में परंपरागत विषयों के अतिरिक्त नए एवं उभरते हुए पाठ्यक्रमों को संबंधन प्रदान करना, पाठ्यक्रमों को लगातार अद्यतन किया जाना, इसके अनुरूप शिक्षकों तथा छात्रों को यथोचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाना एवं संस्थानों में शोध एवं नवोन्मेष कार्यक्रमों का क्रियान्वयन आवश्यक हो गया है । अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जबसे एन0डी0ए0 की सरकार बिहार में बनी है, बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार बेहतर किया गया है और जो गुणात्मक परिवर्तन हुए हैं पिछले 16 वर्षों में उसे राज्य की जनता ने अनुभव किया है । जहां स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हुआ है, उसका लाभ लोगों को मिला है वहीं स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत गुणात्मक परिवर्तन हुए हैं और राज्य के अंदर बड़ी संख्या में नए मेडिकल कॉलेजेज खुले हैं, सरकारी क्षेत्र में खुले हैं, प्राइवेट क्षेत्र में खुले हैं आगे आने वाले समय में और बड़ी संख्या में अभी सरकारी मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुलने वाले हैं । अभी राज्य में 17 मेडिकल कॉलेज काम कर रहे हैं । आगे 4 वर्षों के अंदर राज्य में इनकी संख्या बढ़कर 28 हो जाएगी । इसी प्रकार से जो पारा मेडिकल इंस्टिट्यूट हैं, नर्सिंग इंस्टिट्यूट हैं वैसे जो सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानें हैं उन संस्थानों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच के अनुरूप हम हर अनुमंडल में ए0एन0एम0 इंस्टिट्यूट खोल रहे हैं, जिलों में हम जी0एन0एम0 इंस्टिट्यूट, मेडिकल कॉलेजेज में बी0एस0सी0 नर्सिंग इंस्टिट्यूट इसके अतिरिक्त प्राइवेट संस्थान भी खोले जा रहे हैं । पारा मेडिकल के बड़े संस्थान राज्य के अंदर तेजी से खुले हैं और इसका फलाफल यह हुआ है कि राज्य के अंदर जो हमारे बच्चे और बच्चियां हैं बड़ी संख्या में आज नर्सिंग बनकर आ रही हैं और न केवल राज्य बल्कि राज्य के बाहर भी जाकर लोगों को सेवा देने का काम कर रही हैं । कुल मिलाकर राज्य के अंदर जो स्वास्थ्य शिक्षा का क्षेत्र है उसमें काफी संख्या में उसके संस्थानों की संख्या में वृद्धि हुई है और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने राज्य के अंदर स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था को और बेहतर किया है । इस प्रकार समग्र रूप में स्वास्थ्य विज्ञान की विभिन्न विद्याओं में शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर अभिवर्धन किए जाने के लिए एक पृथक एवं अत्याधुनिक विश्वविद्यालय की स्थापना की आवश्यकता है । अध्यक्ष महोदय, आज जिस विश्वविद्यालय के संबंध में हमने विधेयक रखा है, महोदय यह

विश्वविद्यालय विशेष तौर पर स्वास्थ्य विज्ञान पर ही केंद्रित होगा एवं स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित विषयों के संदर्भ में निर्णय लिये जायेंगे । नए विश्वविद्यालय के गठन से चिकित्सा स्वास्थ्य विज्ञान की विभिन्न विद्याओं को बेहतर रूप से संचालित, नियंत्रित करने एवं नए क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा हेतु संबंधन और सुगम बनाने में सहयोग मिलेगा, सहायता मिलेगी ।

अध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय का उद्देश्य सामान्य रूप से मानव जाति के जीवन की गुणवत्ता की उन्नति के लिए वातावरण विकसित करना और स्वास्थ्य विज्ञान का विकास और अनुप्रयोगों के क्षेत्र के संबंध में स्वास्थ्य चिकित्सा विज्ञान और पर्यावरण के ज्ञान को विकसित करना होगा । विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य बुनियादी और अनुप्रयुक्त विज्ञान चिकित्सा, स्वास्थ्य विज्ञान विशेष रूप से उत्कृष्टता के केंद्र और संस्थान बनाना होगा और अन्य उद्देश्य भी हमारे होंगे । चिकित्सा स्वास्थ्य विज्ञान की आधुनिक प्रणाली, दंत चिकित्सा, उपचर्या, विभिन्न पारा मेडिकल विद्याएं, चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीक, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति अंतर्विभागीय क्षेत्रों, लोक स्वास्थ्य प्रबंधन, स्वास्थ्य अर्थशास्त्र आदि संचालित हैं । स्वास्थ्य विभाग के अन्य प्रक्षेत्रों के पारंपरिक एवं नए क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा हेतु संबंधन करने में इससे सुगमता होगी ।

(क्रमशः)

टर्न-18/मुकुल-राहुल/27.07.2021

क्रमशः

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : आधुनिक विश्व और समाज की बदलती आवश्यकताओं की अनुक्रिया में स्वास्थ्य विज्ञान की विभिन्न धाराओं में पेशेवर शिक्षा विकसित करना । स्वास्थ्य विज्ञान की विभिन्न धाराओं में पेशेवर शिक्षण से जुड़े मामलों में शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार को सुविधाजनक बनाने और प्रोत्साहित करने में यह लाभकारी होगा । शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रियाओं और प्रणालियों में गुणात्मक सुधार को सुगम बनाना और सुनिश्चित करना हमारा उद्देश्य होगा । स्वास्थ्य विज्ञान के प्रक्षेत्र में ज्ञान के सामाजिक और सीमांत क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को सुगम बनाना और सुनिश्चित करना हमारा लक्ष्य होगा । आजीवन सीखने के लिए जरूरतों एवं प्रक्रियाओं को सुगम बनाना और व्यवस्थित करना । विश्वविद्यालय इसके संस्थानों या अन्यथा ज्ञान एवं शोध के निष्कर्षों का दुनिया भर में प्रसार करने का काम भी करेगा । स्वास्थ्य विज्ञान के सभी संकायों, जिनमें आधुनिक

चिकित्सा पद्धति, दंत चिकित्सा, उपचर्या, औषधि, विभिन्न पैरामेडिकल विधाएं, यथा-चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीक, फिजियोथेरापी एवं ऑकुपेशनल थेरापी, स्पीच थेरापी, आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होमियोपैथिक चिकित्सा पद्धति अंतर्विभागीय क्षेत्र यथा-स्वास्थ्य प्रबंधन, स्वास्थ्य अर्थव्यवस्था शामिल है, की शिक्षा के स्तरमान में एकरूपता स्थापित करना, ऐसी शिक्षा की गुणवत्ता के संवर्धन एवं वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए और स्वास्थ्य विज्ञान की सभी पद्धतियों की आपसी समझ पर सभी स्तरों पर शैक्षणिक उत्कृष्टता के उच्चतम स्तरमान को आधुनिक बनाना, सुधारना एवं उपलब्धि का निरन्तर लक्ष्य रखना हमारा उद्देश्य होगा । स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित एवं सुसंगत सभी विधाओं, विशेषतः वे जो सम्प्रति स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के पाठ्यविवरण में शामिल नहीं हैं, को एकीकृत करते हुए अध्ययन केन्द्रों को स्थापित एवं विकसित करना । इसमें जनसंख्या विज्ञान, स्वास्थ्य पद्धति शोध, स्वास्थ्य सेवा शोध, परिचालन शोध, स्वास्थ्य पद्धतियां एवं स्वास्थ्य सेवाएं प्रबंधन, जैव सूचना विज्ञान, दूरमितिकी, मेडिकल अनुलिपिकरण, महामारी विज्ञान संबंधी, शोध प्रावैधिकी, स्वास्थ्य विज्ञान में सतत शिक्षण और विज्ञान की ऐसी शाखा, जिसे शामिल किया जाना समीचीन समझा जाय, उसे शामिल किया जायेगा । विशेषज्ञता के विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान केन्द्रों को बनाने और बढ़ावा देने में यह उसके उद्देश्य की पूर्ति करेगा । शिक्षकों के लिए उनके संबंधित और अंतः विषय क्षेत्रों में गुणवत्ता सुधार की एजेंसी के रूप में कार्य करेगा । ऐसे प्रावधान करना जिसमें संबद्ध महाविद्यालय अध्ययन में विशेषज्ञता प्राप्त कर सकें । महोदय, इसकी जो अधिकारिता होगी, सरकार द्वारा स्थापित अथवा राज्य के विद्यमान विश्वविद्यालय के घटक अथवा भविष्य में स्थापित होने वाले सभी महाविद्यालय एवं संस्थाएं उस तिथि से विश्वविद्यालय से संबद्ध होने की पात्रता रखेंगी जो सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करेगा । किसी न्यास अथवा सोसाइटी द्वारा व्यावसायिक शिक्षा देने वाली स्ववित्तपोषित संस्था के रूप में स्थापित विद्यमान महाविद्यालय अथवा संस्था इस विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त कर सकेंगे । महोदय, नामांकन में आरक्षण की व्यवस्था की गई है । बिहार राज्य अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु समय-समय पर लागू उर्ध्वाधर आरक्षण के प्रावधानों को अक्षुण्ण रखते हुए विश्वविद्यालय से संबद्ध प्रत्येक संस्थान एवं महाविद्यालय में पाठ्यक्रमवार एवं कोटिवार कुल सीटों का एक तिहाई महिला अभ्यर्थियों के नामांकन के लिए क्षैतिज रूप में आरक्षित रहेगा । स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में यह आरक्षण राज्य स्तर पर विशेषज्ञतावार लागू होगा । परन्तु, यह कि इस लाभ के लिए केवल बिहार राज्य की निवासी महिलायें ही पात्र होंगी । योग्य महिला अभ्यर्थियों की

अनुपलब्धता की स्थिति में उसी शैक्षणिक सत्र में रिक्त सीटों को संगत कोटि (आरक्षित/गैर आरक्षित) के पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा। इन प्रावधानों को लागू करने हेतु सरकार द्वारा समय-समय पर यथापेक्षित आदेश निर्गत किया जा सकेगा। अध्यक्ष महोदय, यह जो विश्वविद्यालय होगा, इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री अपने पद के फलस्वरूप विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे। यह मुख्य रूप से इस विधेयक के अंदर के मूल विषय थे, बाकी विस्तार से विधेयक के अंदर हमने विषयों को रखा है और जैसा कि हमने आपसे प्रारंभ में कहा कि स्वास्थ्य सेवा और स्वास्थ्य शिक्षा, इन दोनों को गुणवत्तापूर्ण बनाना, इन दोनों पर बेहतर नियंत्रण करना, इन दोनों को दुनिया में जो आज नये-नये तकनीक आ रहे हैं, नये तरीके से जो स्वास्थ्य विज्ञान प्रगति कर रहा है, दुनिया के साथ चलते हुए, दुनिया के मानकों के अनुरूप राज्य के अंदर संस्थानों का निर्माण करवाना, संस्थानों की देख-रेख करवाना, संस्थानों के अंदर गुणवत्तापूर्ण सब कुछ व्यवस्था बनी रहे इसके लिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना का विषय, महोदय, आज आपके सामने यह विधेयक लाया गया है और यह जो हमारे उद्देश्य हैं इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के प्रयोजनार्थ राज्य में एक पृथक बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 को अधिनियमित करना है महोदय और उसी संदर्भ में आपके समक्ष और सदन के समक्ष इस विधेयक को हमने लाया है। आपसे और सदन से हम यह आग्रह करेंगे कि इसकी स्वीकृति देने की कृपा करें।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 स्वीकृत हो।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 स्वीकृत हुआ।

“बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2021”

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग।

श्री आलोक रंजन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

“बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।”

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

“बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गई ।”

श्री आलोक रंजन, मंत्री : महोदय, मैं इसे पुरःस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुरःस्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग ।

श्री आलोक रंजन, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

“बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 पर विचार हो ।”

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122 (1) के तहत माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ, अजीत शर्मा एवं श्री अजय कुमार सिंह का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ । अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जाएगा ।

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव, श्री महबूब आलम, श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री अजीत शर्मा द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्या माननीय सदस्य श्री महबूब आलम अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है ।
क्या माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2021” पर विचार हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खण्डशः लेता हूँ । खंड-2 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“खंड-2 इस विधेयक का अंग बने ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-3 में एक संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“खंड-3 इस विधेयक का अंग बने ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-3 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-4 में तीन संशोधन हैं ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“खंड-4 इस विधेयक का अंग बने ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-4 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-5 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“खंड-5 इस विधेयक का अंग बने ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-5 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-6 में सात संशोधन हैं ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्या माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“खंड-6 इस विधेयक का अंग बने ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-6 इस विधेयक का अंग बना ।

टर्न-19/यानपति-अंजली/27.07.2021

अध्यक्ष: खंड-7 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

“खंड-7 इस विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड-7 इस विधेयक का अंग बना।

खंड-8 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

“खंड-8 इस विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड-8 इस विधेयक का अंग बना।

खंड-9 में एक संशोधन है। माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव और श्री अजीत शर्मा द्वारा एक ही तरह का संशोधन दिया गया है। क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अनुपस्थित)

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अनुपस्थित)

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

“खंड-9 इस विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड-9 इस विधेयक का अंग बना।

खंड-10 में कोई संशोधन नहीं है।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

“खंड-10 इस विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड-10 इस विधेयक का अंग बना।

खंड-11 में 5 संशोधन हैं। क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

“खंड-11 इस विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड-11 इस विधेयक का अंग बना।

खंड-12 में 2 संशोधन हैं। क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

“खंड-12 इस विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड-12 इस विधेयक का अंग बना।

खंड-13, 14, 15, 16 एवं 17 में कोई संशोधन नहीं है।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

“खंड-13, 14, 15, 16 एवं 17 इस विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड-13, 14, 15, 16 एवं 17 इस विधेयक का अंग बना।

खंड-18 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

“खंड-18 इस विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड-18 इस विधेयक का अंग बना।

खंड-19 में कोई संशोधन नहीं है।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

“खंड-19 इस विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड-19 इस विधेयक का अंग बना।

खंड-20 में 2 संशोधन हैं। माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव और श्री अजीत शर्मा द्वारा एक ही तरह का संशोधन दिया गया है। क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

“खंड-20 इस विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड-20 इस विधेयक का अंग बना।

खंड-21 में 2 संशोधन हैं। क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

“खंड-21 इस विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड-21 इस विधेयक का अंग बना।

खंड-22 में कोई संशोधन नहीं है।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

“खंड-22 इस विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड-22 इस विधेयक का अंग बना।

खंड-23 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

“खंड-23 इस विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड-23 इस विधेयक का अंग बना।

खंड-24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 एवं 38 में कोई संशोधन नहीं है।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

“खंड-24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 एवं 38 इस विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड-24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37

एवं 38 इस विधेयक का अंग बना।

खंड-39 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

“खंड-39 इस विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड-39 इस विधेयक का अंग बना।

खंड-40, 41 एवं 42 में कोई संशोधन नहीं है।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

“खंड-40, 41 एवं 42 इस विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड-40, 41 एवं 42 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

“खंड-1 इस विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

“प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

“नाम इस विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नाम इस विधेयक का अंग बना।

प्रभारी मंत्री।

टर्न-20/सत्येन्द्र/27-07-21

श्री आलोक रंजन,मंत्री: महोदय,आज मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय उपमुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ एवं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ, जिनके कुशल नेतृत्व के बदौलत आज यह ऐतिहासिक बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक,2021 सदन के समक्ष स्वीकृत होने हेतु प्रस्तुत हुआ है।

महोदय,अच्छा तो यह होता कि इतने महत्वपूर्ण विधेयक में विपक्ष के भी सभी साथी उपस्थित होते परन्तु उनकी अनुपस्थिति से उनके खिलाड़ियों के प्रति कितनी उदासीनता है, यह स्पष्ट परिलक्षित होता है। महोदय, हम सभी 70 के दशक के एक प्रचलित गाने से वाकिफ हैं। ‘पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नबाव, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब’। आज की परिस्थिति में अब नया गाना आ गया है- ‘पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नबाव, खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब। हमारे बिहार के बच्चे पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय

स्तर पर परचम लहरा रहे हैं, परन्तु खेल के क्षेत्र में भी हमें अब ऊंचाई हासिल करना है। प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय विधेयक का मौलिक सार यही है।

महोदय, यह विश्वविद्यालय बिहार के खेल, खिलाड़ी, प्रशिक्षक छात्र/छात्राओं के लिए एक स्वर्णिम अध्याय प्रारम्भ करने जा रहा है। खेल विश्वविद्यालय के माध्यम से राज्य में शारीरिक शिक्षा, खेल विज्ञान, खेल प्रौद्योगिकी एवं खेल प्रशासन खेल प्रबंधन और खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में खेल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ साथ चयनित खेलों के लिए उच्चस्तरीय शोध प्रशिक्षण केन्द्र एवं इससे संबंधित आनुषंगिक विषय को भी आगे बढ़ाया जायेगा।

जैसा कि आप जानते हैं महोदय कि किसी भी विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन के लिए एक विस्तृत अवसंरचना की आवश्यकता होती है। हमारी सरकार ने इस विधेयक में उक्त सारे प्रावधान किये हैं।

विश्वविद्यालय के पदाधिकारी के रूप में कुलपति, डीन, रजिस्ट्रार, वित्त पदाधिकारी, परीक्षा नियंत्रक एवं अन्य पदाधिकारीगण का भी प्रावधान किया गया है। इन सबों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय में प्रशासनिक पदाधिकारियों एवं अनुसचिवीय कर्मचारियों का भी प्रावधान किया गया है।

जैसा कि हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी एवं उप मुख्यमंत्री जी का महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु प्रतिवद्धता है। विश्वविद्यालय के समवद्ध प्रत्येक संस्था एवं महाविद्यालयों में पाठ्यक्रमवार एवं कोटिवार कुल सीटों का एक तिहाई महिला अभ्यर्थियों के नामांकन के लिए आरक्षित रहेगा। इस आरक्षण के लिए बिहार राज्य के निवासी महिला ही पात्र होगी। महिला सशक्तिकरण हेतु यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा तथा सरकारी एवं निजी क्षेत्र में शारीरिक शिक्षा, खेल विज्ञान, खेल प्रौद्योगिकी, खेल प्रबंधन, खेल प्रशासन इत्यादि के क्षेत्र में तथा खेल शिक्षा एवं प्रबंधन के क्षेत्र में स्थापित अथवा स्थापित होने वाली संस्थाओं एवं संकाय का संबंधन खेल विश्वविद्यालय से लेना होगा। अब सरकार अथवा कोई व्यक्ति खेल एवं शारीरिक शिक्षा से संबंधित महाविद्यालय, संस्थान अथवा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं, जिससे बिहार को **Sporting Power Technology General pool** के रूप में विकास करने में महत्वपूर्ण सफलता मिलेगी। राज्य खेल अकादमी राजगीर भी इसी खेल विश्वविद्यालय का अंग होगा। खेल विश्वविद्यालय का मुख्यालय राजगीर में अवस्थित होगा।

यह विश्वविद्यालय महोदय अन्य उद्देशों के अतिरिक्त बिहार खेल नीति, खेल योजना, खेल क्रियाकलापों के विकास के लिए विशेषज्ञ दल (Think Tank), उच्चस्तरीय खेल Professional एवं खेल Technology का एक जेनरल पूल तैयार करेगा। यह विश्वविद्यालय सतत राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय खेल फेडरेशनों के साथ निकट सम्पर्क में रहेगा तथा नयी खेल तकनीक, नया खेल विधा एवं जैसे सभी नवोदित शोध एवं प्रशिक्षण को अंगीकार कर उसे अपने संस्थानों में प्रारंभ करवायेगा।

खेल विश्वविद्यालय विधेयक में महोदय, (1) सामान्य परिषद, जेनरल काउन्सिल (2) कार्य परिषद एक्सक्यूटिव काउन्सिल (3) एकेडेमिक परिषद् एवं एक्टिविटी परिषद् (4) संबंधन बोर्ड (5) वित्त समिति तथा (6) परिनियम द्वारा घोषित प्राधिकार होंगे, जिनके माध्यम से विश्वविद्यालय को प्रदत्त सभी कृत्यों एवं उद्देश्यों का संचालन किया जायेगा।

जेनरल काउन्सिल में सभापति एवं उप सभापति समेत कुल 17 सदस्य, कार्य परिषद में सभापति समेत कुल 12 सदस्य तथा एकेडेमिक एवं एक्टिविटी काउन्सिल में सभापति सहित कुल 13 सदस्य होंगे। जेनरल काउन्सिल के सभापति कुलाधिपति (चांसलर) होंगे जबकि अन्य परिषदों के सभापति कुलपति होंगे। सभी परिषदों को वृहत शक्तियां प्रदान की गयी है ताकि खेल विश्वविद्यालय के उद्देश्य को पूरा करते हुए बिहार का हित साधन हो सके।

इस विधेयक के अधीन महोदय, कानून, नियम, परिनियम आदि बनाने अथवा संशोधित करने का प्रावधान भी रखा गया है ताकि समयानुकूल यथोचित प्रावधानों की प्रविष्टि अथवा विलुप्ति की जा सकें।

महोदय, देश में अभी तक पांच राज्यों गुजरात, असम, राजस्थान, तमिलनाडु एवं पंजाब द्वारा अपने राज्यों में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी। अब बिहार भी इस खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने वाला छठा राज्य बनने जा रहा है। राज्य को यह गौरव दिलाने का कार्य हमारे माननीय मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में ही संभव हो रहा है। देश में शारीरिक शिक्षा एवं खेल महाविद्यालयों की स्थापना विभिन्न राज्यों द्वारा की गयी है। खेल विश्वविद्यालय के माध्यम से यहां प्रशिक्षित छात्र/छात्रा को महोदय, रोजगार के अनेक अवसर प्राप्त होंगे तथा बिहार के खिलाड़ियों छात्र छात्राओं को खेल शिक्षण अथवा प्रशिक्षण हेतु राज्य के बाहर अब नहीं जाना पड़ेगा। महोदय, मुझे आयरलैंड के प्रसिद्ध स्नूकर खिलाड़ी केन डोहरटी का खेल प्रशिक्षण के संबंध में कही गयी बात को कोट करना उचित लगता है:-

5 S of 'S' in word sports are very important. They are (1)Stamina (2)Speed (3) Strength (4) Skill (5) Spirit but greatest of these Five is 'Sprit'

अंत में मैं महोदय, इसी Sprit के साथ सदन के माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 को स्वीकृत करने की कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।

टर्न-21/मधुप/27.07.2021

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, आज एक बड़ा ही सुखद संयोग है कि आज बिहार की विधायिका एक अलग से खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कर रही है और कितना सुखद संयोग है कि पूरे विश्व में जो खेलों का महाकुम्भ लगता है, ओलम्पिक गेम्स अभी जापान में चल रहे हैं। यह सब दिन के लिए स्मरणीय हो गया कि जब ओलम्पिक खेल जापान के टोक्यो में चल रहे थे तो बिहार में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। यह सब दिन याद रहेगा।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 स्वीकृत हो।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक- 27 जुलाई, 2021 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 19(उन्नीस) है। अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक बुधवार, दिनांक- 28 जुलाई, 2021 को 11:00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।